NUSP
NATIONAL URBAN SANITATION POLICY
TOWARDS CITY WIDE SANITATION

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति का भारत सरकार द्वारा
3 अक्टुबर 2008 को स्वीकृत किया गया है।

सचिव
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन
नई दिल्ली

डा० एम. रामाचंद्रन

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास–पहल है तथा यह शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अन्तर मंत्रालयी व्यापक स्वच्छता कार्यबल की दूरदर्शिता का परिणाम है। भारत के सभी शहरों को सभी नागरिकों, विशेषरूप से शहरी गरीबों के लिए पूरी तरह से स्वच्छ, स्वस्थ तथा रहने योग्य बनाने के लिए अत्यन्त गहन विचार–विमर्श प्रक्रिया के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। पहली बार उक्त नीति के द्वारा एकीकृत ढंग से शहरी स्वच्छता व्यवस्था हेतु राज्यों के लिए आवश्यक कार्य ढांचे की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय नीति में संस्थागत मुद्दे, शहरी गरीबों की दुर्दशा, मैला ढोने वालों की समस्या, स्वच्छता के प्रति अपर्याप्त जागरूकता, एकीकृत आयोजना, तकनीकी जानकारी और क्षमता की कमी जिसकी वजह से हमारी अधिकांश बुनियादी सुविधाओं का कार्य निष्पादन इष्टतम से कम हो रहा है, का समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। अनुमान है कि हमारे केवल 10% शहरों में सीवरेज नेटवर्क हैं तथा मौजूदा शोधन प्रणालियां केवल 21 प्रतिशत अपशिष्ट सृजित जल का शोधन करने की क्षमता रखती है। समुदाय विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर डालने के अलावा इससे हमारे सतही और भूजल के प्रदूषण से संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

इस नीति के अनुसरण में, भारत सरकार, राज्य स्वच्छता कार्यनीतियों और शहरी स्वच्छता योजनाएं बनाने में राज्यों और शहरों की सहायता करेगी। केवल हार्डवेयर के लिए वित्तपोषण करने के बजाय, परिणाम प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही सहायता को बढ़ाते हुए पुनः व्यवस्थित किया जाएगा। अन्ततः मार्गदर्शन से शहरी स्थानीय निकाय सृजित किसी भी संरचना की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार बन जाएगा। एक संबंधित प्रयास–पहल में, शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता व्यवस्था सहित सेवा प्रदाता के चार क्षेत्रों में सेवा स्तरीय बैंचमार्क तैयार किए हैं। इन बैंचमार्कों को राज्य स्वच्छता कार्यनीतियों और शहरी स्वच्छता योजना के साथ जोड़ना होगा।

राज्य और शहरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और शहरी स्वच्छता व्यवस्था निष्पादन में श्रेष्ठता की पहचान करने के लिए, भारत सरकार ने शहरों हेतु "निर्मल शहर पुरस्कार" नामक एक वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार का आधार यह है कि शहरों के निष्पादन के आवधिक मूल्यांकन से समुदाय–जागरूकता बढ़ेगी और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। यह मंत्रालय परिवार और सेवा प्रदाता दोनों स्तरों पर सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्पर्क अभियान पर भी विचार कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ और साफ पर्यावरण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

मैं इस पूरी प्रक्रिया में कार्यदल के सदस्यों, विभिन्न राज्यों, भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, गैर–सरकारी संगठनों और जल और स्वच्छता कार्यक्रम दक्षिण एशिया (डब्ल्यू एस पी – दक्षिण एशिया) द्वारा दी गई सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब तक प्राप्त परिणामों और शहरी स्वच्छता के संबंध में देश में किए जा रहे प्रोत्साहनात्मक उपायों को देखते हुए, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम "निर्मल शहर" के सपने को सच में साकार कर सकते हैं।

सचिव (शहरी विकास)

विषय सूची

पृष्ठभूमि 6

दृष्टिकोण 6

मुख्य स्वच्छता व्यवस्था के नीतिगत मुद्दे 7

कार्यान्वयन सहायक कार्यनीति 9

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के घटक 11

अनुलग्नक – I
राज्य स्वच्छता कार्यनीतियां विकसित करने हेतु कार्य ढ़ांचे का मसौदा 13

अनुलग्नक – II
शहर स्वच्छता योजना के लिए प्रारूप कार्य ढ़ांचा 16

अनुलग्नक – III
भारत के शहरों में स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना 36

पृष्ठभूमि

स्वच्छता व्यवस्था को मानव मल के सुरक्षित प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें उसका नियंत्रित शोधन, निपटान और उससे जुड़ी साफ–सफाई पद्धतियां भी शामिल हैं। यद्यपि यह नीति मानवमल के प्रबंधन और उससे जुड़े लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है फिर भी यह माना जाता है कि एकीकृत समाधान के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता व्यवस्था के अन्य तत्वों अर्थात् कचरा प्रबंधन, औद्योगिक और अन्य विशिष्ट/हानिकारक कचरे के सृजन, निकासी तथा पेयजल आपूर्ति को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

जनगणना 2001 के अनुसार 27.8% भारतीय अर्थात् 286 मिलियन लोग या 55 मिलियन परिवार शहरी क्षेत्रों [1] में रहते हैं। अनुमान बताते हैं कि शहरी आबादी 2007 तक बढ़कर 331 मिलियन और 2012 तक 368 मिलियन हो जाएगी। 12.04 मिलियन (7.87%) शहरी परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं और खुले में मलत्याग करते हैं। 5.48 मिलियन (8.13%) शहरी परिवार सामुदायिक शौचालय प्रयोग करते हैं और 13.4 मिलियन परिवार (19.49%) साझे शौचालयों का उपयोग करते हैं। 12.47 मिलियन (18.5%) परिवारों के पास जल निकासी सुविधा नहीं हैं। 26.83 मिलियन (39.8%) परिवार खुली नालियों से जुड़े हैं। शहरी गरीबों के संबंध में स्थिति और भी खराब है। बिना शौचालय वाले अधिसूचित और बिना अधिसूचित बस्तियों का प्रतिशत क्रमशः 17% और 51% है। सेप्टिक शौचालयों की उपलब्धता 66 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है। भूमिगत सीवरेज के संबंध में उपलब्धता क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। शहरी भारत में कुल मानव मल का 37% से अधिक का निपटान असुरक्षित ढंग से किया जाता है। इससे शहरी क्षेत्र, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान करता है, को काफी जन स्वास्थ्य और पर्यावरणी लागत पड़ती है। खराब साफ–सफाई का प्रभाव शहरी गरीबों (कुल शहरी आबादी का 22%) महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण शहरी क्षेत्रों के केवल 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के संबंध में बीमारियों के कारण हुई हानि की राशि की मात्रा 2001 की कीमतों पर 500 करोड़ बनती है (योजना आयोग–संयुक्तराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल इमरजेंसी फेड (युनिसेफ) 2006), अशोधित घरेलू/म्यूनिसिपल अपशिष्ट जल के अपर्याप्त निस्तारण के कारण भारत भर में समस्त सतही जल का 75 प्रतिशत प्रदूषित हो गया है।

शहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में यह निहित है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र 2015 तक कम से कम आधी शहरी आबादी और 2025 तक 100% शहरी आबादी को बेहतर सफाई व्यवस्था मुहैया कराएगा। इसका अर्थ है कि बिना बेहतर सफाई व्यवस्था वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों में उचित सफाई सुविधा मुहैया की जाएगी ताकि शहरों में खुले में मलत्याग से मुक्ति मिल सके।

दृष्टिकोण

भारत में शहरी स्वच्छता व्यवस्था के लिए दृष्टिकोण इस प्रकार है:

सभी भारतीय शहर पूर्णतः स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य बनें और अपने सभी नागरिकों के लिए अच्छा जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित और सुस्थिर करें और शहरी गरीबों तथा महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर और किफायती स्वच्छता सुविधाओं पर विषेश ध्यान दें।

[1] 2001 में लगभग 285 मिलियन लोग या भारत को 1.02 बिलियन आबादी का 27.8 प्रतिशत 5,161 शहरों में रहते थे। लगभग 37 प्रतिशत 35 मिलियन से अधिक आबादी वाले मेट्रो शहरों में रहते थे और शेष 388 बड़े शहरों (0.1 से 1 मिलियन) और 4,738 छोटे शहरों (0.1 मिलियन से कम) में बराबर विभाजित थे। पिछले पांच दशकों में शहरी आबादी की वार्षिक वृद्धिदर 2.7 से लेकर 3.8 – 2.7 प्रतिशत के बीच रही है जो 1991–2001 के दौरान वृद्धि दर है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007 तक 331 मिलियन लोग शहरी भारत में रहेंगे। ग्यारहवीं योजना अवधि में यह बढ़कर 2012 तक 368 मिलियन होगी (महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार, 2006)।

स्वच्छता व्यवस्था के मुख्य नीतिगत मुद्दे

उपर्युक्त दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए :–

- **जागरूकता में कमीः** समुदाय में स्वच्छता व्यवस्था को कम प्राथमिकता दी गई है और जन स्वास्थ्य से इसके अंतर्निहित संबंध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
- **स्वच्छता व्यवस्था के सामाजिक और व्यावसायिक पहलूः** समुचित कानूनी ढांचा होने के बावजूद मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की दिशा में बहुत कम सफलता मिली है, सफाई कर्मियों द्वारा रोज उठाए जाने वाले व्यावसायिक जोखिमों पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **विभाजित सांस्थानिक भूमिकाएं और दायित्वः** राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तरों पर सांस्थानिक भूमिकाओं और दायित्वों में काफी कमियां हैं और ये एक–दूसरे के आड़े आती हैं।
- **एकीकृत शहर व्यापी दृष्टिकोण की कमीः** वर्तमान में स्वच्छता व्यवस्था निवेश टुकड़ों में नियोजित किया जाता है और इसे सुरक्षित कनफाइनमेंट, शोधन और सुरक्षित निपटान के पूर्ण चक्र के रूप में एक साथ नहीं लिया जाता है।
- **सीमित प्रौद्योगिकी विकल्पः** प्रौद्योगिकियां सीमित विकल्पों पर ही केन्द्रित रही हैं जो कि लागत प्रभावी नहीं रही है और निवेश की सुस्थिरता पर प्रश्न लगाते रहे हैं।
- **वंचित और गरीबों तक पहुँचनाः** शहरी गरीब समुदाय तथा अनौपचारिक बसावों के अन्य वासी किफायती तथा सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था हासिल करने में अवधि, स्थान की कमी या आर्थिक कठिनाईयों से जूझते रहे हैं। इस संदर्भ में इस मुद्दे कि क्या गरीबों को सेवा सुविधा देने को व्यक्तिगत बनाया जाए या इस मुद्दे कि सामुदायिक सेवाएं गैर अधिसूचित स्लमों में मुहैया की जाए, का समाधान किया जाए। तथापि व्यक्तिगत शौचालयों के प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंशदान आधारित शौचालयों के संबंध में सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से गैर–गरीब को मिलने के मुद्दे का समाधान विभिन्न श्रेणियों के शहरी गरीबों की पहचान करके किया जाना चाहिए।
- **मांग प्रत्युत्तरता की कमीः** सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा आपूर्ति आधार पर स्वच्छता व्यवस्था मुहैया की गई है जिसमें स्वच्छता व्यवस्था के ग्राहकों के रूप में परिवारों की मांग और प्राथमिकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

लक्ष्य

इस नीति का समग्र लक्ष्य शहरी भारत को समुदाय आधारित, पूर्णतः **जागरूक, स्वस्थ और रहने योग्य शहरों में परिवर्तित करना है।**

विशिष्ट लक्ष्य इस प्रकार है :–

क. जागरूकता का सृजन तथा व्यवहार में बदलाव

जागरूकता का सृजन तथा व्यवहार में बदलाव

अ. समुदायों और संस्थानों के बीच स्वच्छता व्यवस्था तथा लोग एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य से इसके संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाना ;

ब. स्वस्थ स्वच्छता व्यवस्था को अपनाने के उद्देश्य से व्यवहार में उचित बदलाव आदि लाने के लिए प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

ख. खुले में शौच मुक्त शहर

खुले शौच रहित शहर के लक्ष्य को हासिल करना

सभी शहर वासियों को सुरक्षित और साफ स्वच्छता व्यवस्था सुलभ होगी ताकि कोई भी खुले में शौच न जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगेः–

अ. परिवारों को सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था की सुलभ सुविधा को प्रोत्साहित करना (उचित निपटान व्यवस्था सहित)।

ब. जहां आवश्यक हो वहां ऐसे परिवारों के लिए समुदाय संचालित और प्रबंधित शौचालय प्रोत्साहित करना जो स्थान अवधि या धन की कमी के कारण ऐसी सुविधा से वंचित हैं।

स. सभी शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, शतप्रतिशत रखरखाव तथा प्रबंधन व्यवस्था ताकि उन क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त तथा पर्यावरणीय खतरों से बचाया जा सके।

ग. एकीकृत शहर व्यापी स्वच्छता व्यवस्था

संस्थानों को पुनर्गठित करना तथा स्वच्छता व्यवस्था को दुरूस्त करनाः

अ. सभी सेक्टरों और डिपार्टमेंटल डोमेन में स्वच्छता व्यवस्था संबंधी मेनस्ट्रीम सोच, आयोजन और कार्यान्वयन उपाय, क्रॉस कटिंग मुद्दे के रूप में दिए जाएं विशेषकर सभी शहरी प्रबंधन प्रयासों में;

ब. आयोजना, कार्यान्वयन और रखरखाव व्यवस्था सहित स्वच्छता व्यवस्था प्रावधान को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, शहर और स्थानीय संस्थानों को मज़बूत करना (सार्वजनिक, निजी और समुदाय);

क. गरीब समुदायों और अन्य वंचित जनता के लिए उचित स्वच्छता व्यवस्था की सुलभता बढ़ाना।

स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षित निपटानः

शौचालयों सहित सभी सफाई सुविधाओं से 100% मानव मल तथा तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगेः–

अ. नेटवर्क आधारित सीवरेज प्रणाली की उचित कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित करना और जहां कहीं हो उन्हें घरों के साथ कनेक्शन सुनिश्चित करना;

ब. जहां कहीं संभव हो वहां गैर पेय जल प्रयोजनों के लिए शोधित अपशिष्ट जल की पुनः शोधित और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना;

स. ऑन–साइट संस्थापनाओं (सेप्टिक टैंक, पिट शौचालय आदि) से स्लज के उचित निपटान और शोधन करने हेतु प्रोत्साहित करना,

द. यह सुनिश्चित करना कि समस्त मानव मल सुरक्षित ढ़ंग से एकत्रित कर ले लाया जाता है और शोधन के पश्चात् सही निपटान होता है ताकि जन स्वास्थ्य या पर्यावरण को उससे कोई खतरा न हो।

सभी स्वच्छता व्यवस्था संस्थापनाओं का उचित संचालन और रखरखावः

अ. परिवार, समुदाय और सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुविधाओं के उचित उपयोग तथा नियमित रखरखाव को प्रोत्साहित करना;

ब. शहरी स्थानीय निकायों को सुस्थिर आधार पर स्वच्छता व्यवस्था सेवा देने के लिए समर्थ बनाना।

कार्यान्वयन सहायक कार्यनीति

भारत सरकार मानती है कि स्वच्छता व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय निष्कर्षों के स्थान पर कार्यान्वयन और सुस्थिरता के लिए मजबूत शहर स्तरीय संस्थान और स्टेकहोल्डर अपेक्षित है। यद्यपि भारत भर के शहरी क्षेत्रों में कुछ सामान्य तत्व है तथापि, ऐसे अनेक घटक, कठिनाइयां और अवसर हैं जो स्वच्छता व्यवस्था जलवायु, भौगोलिक घटकों, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक मानदण्डों और सांस्थानिक भिन्नताओं आदि [2] के संबंध में राज्य और शहरों की विशिष्ट स्थिति है। इसलिए प्रत्येक राज्य और शहर को अपनी स्वयं की स्वच्छता व्यवस्था संबंधी कार्यनीति तैयार करने और राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अपने संबंधित शहरों की स्वच्छता व्यवस्था योजना बनाने की जरूरत है।

भारत सरकार की सहायोग योजना

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (हूपा) एकीकृत कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत 75% तक केन्द्रीय सब्सिडी, 15% तक राज्य सब्सिडी और 10% तक लाभार्थी अंशदान दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य 6 लाख शुष्क शौचालयों को 31 मार्च, 2010 तक कम लागत जलवाली शौचालयों में बदलना है। केन्द्रीय आवंटन का 75% शौचालयों को बदलने और 25 शहरी क्षेत्रों में ऐसे ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए नए शौचालयों के निर्माण पर खर्च की जाएगी जिनके पास कोई शौचालय नहीं है। इस योजना में शौचालयों/टॉयलेटों के प्रावधान और खुले में शौच की प्रथा के उन्मूलन पर ध्यान दिया गया है। इसमें अपर्याप्त सफाई की समस्या को शामिल नहीं किया गया है जिसमें सीवेज का शोधन और निपटान तथा कचरे का प्रबंधन शामिल है जिनका गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पड़ता है। शहरी स्वच्छता व्यवस्था का दायरा उन मुद्दों से बड़ा और व्यापक है जिन्हें एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना में शामिल किया गया है जिसमें खुले में शौच की रोकथाम और मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए शौचालयों के प्रावधान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।

---

[2] इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में राष्ट्रीय नीति के निर्वचन और अनुवाद में उनकी अपनी स्थिति (विशेषकर सामुदायिक संस्थान और वित्तीय व्यवस्था) पर ध्यान दिया जाएगा और भारत सरकार की सहायता से विशेष और/या अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे।

शहरी स्वच्छता व्यवस्था नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित रुप में सहायता करेगी:–

क. राज्यों को 2 वर्षों के भीतर राज्य स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था कार्यनीतियों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्वच्छता व्यवस्था कार्यनीतियां विकसित करने के लिए ढांचे के मसौदे संबंधी अध्याय में कार्यनीति की रूपरेखा दी गई है (अनुलग्नक-I) ;

ख. चुने गए शहरों से 2 वर्षों के भीतर मॉडल शहर सवच्छता योजना तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा। शहर स्वच्छता व्यवस्था योजना हेतु ढांचे के मसौदे संबंधी अध्याय में योजना की रूपरेखा दी गई है (अनुलग्नक-II) ;

ग. वित्तपोषण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शहर सवच्छता योजना के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सहायता देना;

घ. शहर सवच्छता योजना में चुनी गई मुख्य परियोजनाओं/कार्यकलापों के संबंध में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ;

ड. राज्यों और शहरों को इसी वित्त वर्ष के दौरान तकनीकी सहायता तथा जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण में सहायता देना ;

च. स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में शहरों को आवधिक रेटिंग देना और इसी वित्त वर्ष में बेहतरीन काम करने वाले संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार रखना (अनुलग्नक-III) ;

छ. जहां कहीं संभव हो मौजूदा स्कीमों से परियोजनाओं का वित्तपोषण करना। शहरी विकास मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन {शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक}, छोटे और मझोले शहरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) जैसी योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। इन दोनों योजनाओं का कार्यकाल 7 वर्षों (2005–12) का है जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें केन्द्र सरकार का अंश 50,000 करोड़ रुपए है। 6.3.2009 तक स्वीकृत 458 परियोजनाओं में से 196 सीवरेज, बरसाती जल निकासी और कचरा प्रबंधन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय नए उपनगरों तथा काउंटर मैग्नेट शहरों हेतु स्कीमों और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान के लिए भी जिम्मेदार है जिसमें शहरी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए राशियां दी जाती हैं। सीवरेज, कचरा निपटान और बरसाती पानी निकासी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण प्रस्तावों को इन सभी योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह माना गया है कि इन स्कीमों की सुलभता के बावजूद धनराशि की कमी हो सकती है, जिसमें कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से सहयोग लेने का विकल्प तलाशा जाएगा।

भारत सरकार शहरी स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए नवीनतम कार्यनीतियां तैयार करने और कार्यान्वित करने में राज्यों की मदद करेगी। राज्य और शहर, स्वच्छता व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में अनेक विकल्प तलाश सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- अनुपालन करने के लिए नगरपालिका अधिनियमों और अन्य अधिनियमों में स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में मौजूदा प्रावधान का इस्तेमाल करना ;
- सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को बढ़ावा देने, आवश्यकतानुसार अशोधित सीवेज को खुले क्षेत्रों में बहाने से रोकने के लिए नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन करना, उप–नियम व विनियम बनाना (अर्थात् भवन और निर्माण उप नियम) ;

- प्रोत्साहन और गैर प्रोत्साहन प्रणाली तैयार करना जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा शुल्क व प्रभार, जहां कहीं उपयुक्त हो, लगाना शामिल है ;
- अनुकूल नीति बनाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनौपचारिक बसावों में शहरी गरीब परिवार अथवा निवासियों को उन्नत साफ सफाई की सुविधा मिल सके ;
- समुदाय और सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं के लिए भूमि निर्धारित करना तथा भूमि उपलब्ध कराना;
- स्वच्छता सुविधाओं के उन्नत प्रावधान, रखरखाव व प्रबंधन के लिए सार्वजनिक, प्रायवेट तथा गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देना ;
- सभी सार्वजनिक कार्यकलापों में स्वच्छता व्यवस्था पर बल देना (उदाहरणार्थ स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना के सेक्टरों के साथ समन्वय करके [3]) ;
- विभिन्न सार्वजनिक और गैर–सरकारी एजेंसियों से संयुक्त कार्रवाई कराने के लिए स्वच्छता को एक मिशन मोड के रूप में लेना। राज्य स्तर पर एक शहरी स्वच्छता संचालन समिति तथा शहर स्तर पर एक कार्य बल गठित करके इस कार्य को किया जा सकता है ;
- स्थानीय तौर पर उपयुक्त अन्य विकल्पों और नवीनताओं को तलाशना।

भारत सरकार की राष्ट्रीय सहायता कार्यनीति के घटक इस प्रकार है :–

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के घटक

भारत सरकार निम्नलिखित घटकों में मदद करेगी :–

जागरुकता उत्पन्न करना :

सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के पर्यावरणीय महत्व पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक देश–व्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यनीति तैयार करके कार्यान्वित की जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी कार्य के खिलाफ सामाजिक–सांस्कृतिक भेदभाव को लक्ष्य बनाने की जरूरत है तथा सार्वजनिक कार्यों में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देने में गरिमापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिए जाए। इसके अलावा, मिल जुलकर कार्य करने की जरुरत वाली सार्वजनिक बेहतर शहरी स्वच्छता व्यवस्था को सभी स्टेकहोल्डरों के ध्यान में लाए जाने की जरूरत है।

संस्थागत भूमिका :

भारत सरकार मानक तय करने, नियोजन और वित्तपोषण, कार्यान्वयन, जानकारी बढ़ाने, क्षमता वृद्धि करने तथा प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग व मूल्यांकन और नियामक व्यवस्थाएं करने के संबंध में कार्यों और जिम्मेदारियों, संसाधनों और क्षमताओं तथा संस्थागत प्रोत्साहनों का स्पष्ट निर्धारण करने में मदद करेगी। सरकार राज्यों और शहरों की मदद करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1993 में यथा परिकल्पित शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों में स्वच्छता व्यवस्था प्रमुख जिम्मेदारी हो। समुदाय के संग्रहण, जागरुकता पैदा करने तथा गरीब समुदायों के साथ स्वच्छता के संबंध में

[3] समुचित स्वच्छता सुविधाओं में निवेष (शोधन और स्वच्छ निपटान तक की व्यवस्था), अवसंरचना (अर्थात् शहरी परिवहन, रेलवे, एयरलाइंस इत्यादि) तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कोई भी निवेश एक अनुपालनात्मक जरूरत बने। उदाहरणार्थ शहरी परिवहन निवेश से सार्वजनिक और समुदायिक स्वच्छता व्यवस्था के लिए निवेश मुहैया कराकर तथा साथ ही कचरा, मल जल दुलान के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाकर और सीवरेज प्रणालियों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके शत–प्रतिशत स्वच्छता व्यवस्था हो।

किफायती, समुदाय व्यवस्थित हल खोजने में उनकी मदद करने का कार्य करने में गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों की विशेष भूमिका को पहचाना जाएगा।

वंचित और गरीब परिवारों तक पहुंचना

राष्ट्रीय नीति से व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाओं (टेन्योर, स्थान और वहनीयता की समस्याओं के समाधान) और जहां व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाएं व्यवहारिक नहीं हैं, वहां समुदायिक स्वच्छता व्यवस्था के लिए एक शहर–व्यापी, मांग–आधारित सहभागितापूर्ण संकल्पना अपनाकर शहरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। इसके लिए, शहरी स्वच्छता योजना के भाग के रूप में विशेष स्लम व समुदायिक स्वच्छता योजनाएं तैयार की जाएगी। सार्वजनिक सफाई सुविधाओं के प्रावधान में भी सहायता दी जाएगी।

ज्ञान परिवृद्धि

नीति में संस्थागत विकास, प्रौद्योगिकी चयन तथा प्रबंधन प्रणाली, नए विकास व उन्नयन की योजना तथा सुस्थिरता के मुद्दों पर ज्ञान परिवृद्धि और प्रचार–प्रसार की महता को पहचाना गया है।

क्षमता निर्माण

भारत सरकार स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और शहरों को उनकी निजी क्षमताओं और संगठनात्मक प्रणालियों का निर्माण करने में मदद करने हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर एक राष्ट्र स्तरीय कार्यनीति तैयार करके कार्यान्वित करेगी।

वित्तपोषण

भारत सरकार, जहां कहीं संभव हो, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत यूआईजी, यूआईडीएसएसएमटी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान, सेटेलाइट टाउनशिप स्कीमों इत्यादि जैसी अपनी योजनाओं के मार्फत शहरी स्वच्छता योजनाओं के भाग के रूप में प्रस्तावित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान किए जाने की संभावनाएं तलाशेगी तथापि, मौजूदा स्वच्छता अवसंरचनाओं तथा सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय मानीटरिंग और मूल्यांकन

राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा शहरों की आवधिक रेटिंग कराने में मदद करेगी। इस रेटिंग के आधार पर एक राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार आरंभ किया जाएगा। (अनुलग्नक-V)

राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय

शहरी अवसंरचना और आवास में राष्ट्रीय निवेश के लिए स्वच्छता व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए, सभी संगत सेक्टरगत मंत्रालयों के सभी संगत कार्यक्रमों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुलग्नक – I

राज्य स्वच्छता कार्यनीतियां विकसित करने हेतु कार्य ढांचे का मसौदा

भारत सरकार का यह मानना है कि स्वच्छता राज्य सरकार का विषय है और सार्वजनिक स्वास्थ्य व पर्यावरणीय नतीजों के वास्तविक कार्यान्वयन और सुस्थिरता के लिए सशक्त शहर स्तरीय संस्थानों और स्टेकहोल्डरों की जरूरत है। इसके अलावा, भारत के शहरी क्षेत्रों को देश की लंबाई व चौड़ाई के हिसाब से वर्गीकृत करने वाले सामान्य कारकों के बावजूद राज्यों व शहरों की विशिष्ट स्थिति के अनुरूप अनेक कारक व बल, कठिनाइयां व अनुकूलताएं हैं जैसे सफाई व्यवस्था, जलवायु, भौगोलिकता संबंधी कारकों, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक मानदंडों तथा संस्थागत भिन्नताओं इत्यादि के संबंध में उनकी ऐतिहासिकता। अतः यह बेहतर रहेगा कि प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में निर्धारित नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी राज्य स्तरीय कार्यनीति तैयार करे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे विशेष राज्यों में राष्ट्रीय नीति की व्याख्या और अनुवाद में उनकी स्थिति (विशेषकर समुदाय संस्थानों और वित्तीय व्यवस्थाओं) का ध्यान रखा जाएगा और भारत सरकार द्वारा समर्थित विशेष/अथवा अतिरिक्त प्रावधान बनाए जाएंगे।

राष्ट्रीय नीति की तरह निम्नलिखित सामान्य शीर्षों अथवा क्षेत्रों के लिए राज्य कार्यनीतियों की भी सिफारिश की जाती है:–

(क) **संस्थागत जिम्मेदारी, संसाधनों तथा क्षमताओं का स्पष्ट निर्धारण** : राज्य शहरी स्वच्छता कार्यनीतियों में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में यथा परिकल्पित शहरी स्थानीय निकायों की स्पष्ट जिम्मेदारियों का उल्लेख होना चाहिए। जहां यह आंशिक अथवा अधूरी है, वहां राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक वित्तीय और व्यक्तिगत संसाधनों के साथ–साथ अपने कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां, कार्य व जिम्मेदारियां तय करने हेतु समन्वित प्रयास करने होंगे। शहरी स्थानीय निकायों को वर्तमान में शहर में स्वच्छता संबंधी कार्य कर रही ऐसी एजेंसियों को व्यापक शक्तियां भी दी जाएंगी जो प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होती, जैसे पैरास्टेटल एजेंसियां तथा पीएचईडी।

(ख) **राज्य स्तर पर मानदंडों का निर्धारण (राष्ट्रीय मानदंडों के समग्र ढांचे के भीतर) जैसे कि सीपीएचईईओ और बी आई एस दिशानिर्देश मूल्यः**

- पर्यावरणीय परिणाम (एफ्लुएंट पैरामीटर, घटते जल स्रोतों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, निम्न ऊर्जा सघन स्थलीय/विकेन्द्रीकृत गंदे पानी के शोधन की प्रौद्यागिकियां, संवितरित सेवाओं इत्यादि पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंड)
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव (उदाहरणार्थ–राज्य स्वास्थ्य विभाग)
- प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थः आन–साइट सेप्टेज का स्वच्छ निपटान) तथा अवसंरचना (उदाहरणार्थ–डिजाइन मानक) (पीएचईडी/पैरास्टेटल) तथा गंदे पानी, ठोस कचरे इत्यादि के निपटान जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकलापों को शामिल करना।
- सेवा प्रदानता मानदंड (उदाहरणार्थ–शहरी विकास विभागों द्वारा)।

- मानव श्रम संबंधी मामले, जैसे पर्याप्त पारिश्रमिक, खतरनाक प्रकार के कार्य, पारदर्शी निबंधन व शर्तों पर रोजगार, आधुनिक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग, पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा व दुर्धटना बीमा कवर इत्यादि।
- राज्यों के लिए यह सिफारिश है कि वे मात्र बराबरी न करें बल्कि राष्ट्रीय मानदंडों से उच्च अपने मानदंड तय करें। वे अपने संस्थानों और नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के उच्च मानदंडों का लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

(ग) **राज्य स्तर पर नियोजन और वित्तपोषण :** सार्वजनिक अवसंरचना के नियोजन और वित्तपोषण तथा प्रभाव के लिए (उनकी राज्य कार्यनीतियों में तथा उल्लिखित अनुसार) अपेक्षित व्यक्तिगत निवेश आकर्षित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी। धनराशि के अभाव की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए पर्याप्त और परिकल्पित संसाधन जुटाने होंगे, जिनमें शुल्क निर्धारण, अन्तर–सरकारी वित्तीय हंस्तांतरण और गरीबतम परिवारों को सब्सिडी मुहैया कराना शामिल है। प्रचालन व रखरखाव लागत की वसूली और प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करना, बकाया राशि की वसूली जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना है ताकि जवाबदेहता और वित्तीय सुस्थिरता सुनिश्चित हो सके। ऐसा करने में, राज्य सरकार की शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देने पर पुनः विचार किया जाना है ताकि परिणामों की प्राप्ति हो। राज्य सरकारों को भी सर्वोत्तम निष्पादन वाले शहरों के लिए पुरस्कार आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि शहरों में समग्र स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना लाई जा सके। अन्य सरकारी एजेंसियों और संस्थानों, प्रायवेट और समुदाय संस्थानों में समुचित समन्वयन भी अपेक्षित होगा ताकि सभी सफाई व्यवस्था के साथ–साथ कार्यक्रमों के नियोजन व कार्यान्वयन की प्राथमिकता को विशेष तौर पर दर्शाया जाए।

(घ) **राज्य स्तर पर वंचित आबादी तथा शहरी गरीबों तक पहुंचना :** राज्यों को व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने तथा जहां व्यक्तिगत स्वच्छता सुविधाएं व्यवहारिक नहीं हैं, वहाँ समुदाय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए टेन्योर, स्थान और वहनीयता संबंधी कठिनाइयां दूर करनी होंगी। बुनियादी स्वच्छता के प्रावधान को भू–टेन्योर के मामलों से अलग रखा जाए। सभी शहरी निवासियों को न्यूनतम स्तर की स्वच्छता व्यवस्था मुहैया कराई जाए चाहे उस भूमि, जिसमें वह रह रहा है/रही है का विधिक दर्जा, पहचान का सबूत अथवा प्रवास की स्थिति कुछ भी हो। तथापि, बुनियादी सेवाओं का प्रावधान होने से निवासी का उस भूमि, जिसमें वह रह रहा/रही है, पर कानूनी दर्जा प्रभावित नहीं होगा। स्वच्छता सेक्टर के अंतर्गत कम से कम 20% राशि शहरी गरीबों के लिए निर्धारित की जाए। शहरी गरीबों को क्रॉस सब्सिडी देने तथा रखरखाव कर की वसूली में उनकी भागीदारी के मुद्दे पर विचार किए जाने की जरूरत है। राज्यों को समूदायिक स्वच्छता व्यवस्था के लिए सहभागितापूर्ण संकल्पना अपनाने तथा अस्थायी आबादी, संस्थानों और सार्वजनिक स्थान के कामगारों के लिए पर्याप्त सफाई सुविधाओं हेतु तर्कसंगत नियोजन तथा सुस्थिर प्रबंधन, सेवा प्रदानता और मरम्मत व रखरखाव के लिए लागत वसूली की सुस्पष्ट मान्यता के साथ शहरों की सहायता करने हेतु मार्गनिर्देश जारी करने होंगे।

(ड.) **शहरों में सेवा प्रदान करना** : शहरी स्थानीय निकाय सेवा प्रदान करने सहित परिसंपत्ति सृजन और प्रबंधन प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय अपनी ओर से सार्वजनिक, प्रायवेट और समुदाय एजेंसियों/समूहों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी देंगे। लेकिन स्वच्छता व्यवस्था सामूदाय में निष्पादन के संबंध में अंतिम जिम्मेदारी

शहरी स्थानीय निकायों की होंगी। वर्तमान में इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे विभाग तथा पैराटेटल संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के प्रति जवाबदेह होंगे (उदाहरणार्थ–शहरी स्थानीय निकायों के मार्फत वित्तपोषण सहित)। राज्य सरकारों को इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों तथा शहरी गरीबों की भूमिका सहित सुस्पष्ट निर्देश देने होंगे।

(च) **शहरों के भीतर विनियमन** : इस मामले पर राज्य कार्यनीतियों के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा– पर्यावरणीय मानदंडो (उदाहरणार्थ– राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों), स्वास्थ्य परिणामों (अर्थात् स्वास्थ्य विभागों) तथा सेवा प्रदानता मानदंडों (उदाहरणार्थ– राज्य शहरी विभागों) के लिए शहरी स्थानीय निकायों से अनुपालन सुनिश्चित करके मौजूदा राज्य स्तर के शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना। जहां कहीं इन जिम्मेदारियों अथवा कार्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वहां राज्य कार्यनीति में इसे स्पष्ट किए जाने की जरूरत पड़ेगी। इस कार्यनीति में शहर में सभी संपत्तियों और एजेंसियों/परिवारों के लिए शहरी स्थानीय निकायों की, परिणामों तथा प्रक्रिया संबंधी मानदंडों के संबंध में मुख्य नियामक के रूप में पहचान की जाएगी।

(छ) **राज्य और शहर स्तर पर मानीटरिंग और मूल्यांकन :** राज्य सरकार अपने शहरों के निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी और इसीलिए परिणाम संसूचकों (आउटकम इंडिकेटर्स) के उपयोग से डाटा संकलन तथा रिपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। शहरी स्थानीय निकाय बदले में परिणामों और अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी मानदंडों के साथ परिवारों (संस्थापनाओं इत्यादि) के अनुपालन की देखरेख करेंगे। नागरिक रिपोर्ट कार्ड, नागरिकों की मानीटरिंग समितियां, स्व–मूल्यांकन प्रणाली अन्तर–शहरी प्रतिस्पर्द्धाए इत्यादि के आरंभन पर विचार किया जाएगा। मानीटरिंग और मूल्यांकन में गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों की भी मुख्य भूमिका रहेगी।

(ज) **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** : राज्य कार्यनीति में राज्य स्तरीय, शहरी स्थानीय निकाय के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके चुनिंदा प्रतिनिधियों को अनुकूल बनाने वाली ये एजेंसिंया, राज्य सरकार, तथा/अथवा गैर सरकारी संगठनों तथा प्रायवेट सेक्टर संगठनों की विशिष्ट एजेंसियां हो सकती हैं। इसमें क्षमता निर्माण, अर्थात् प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे शहरी सेक्टर के सुधारों के अनुसार स्वच्छता व्यवस्था में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं और प्रणालियों का विकास करने पर भी बल दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों के राज्य स्तरीय संसाधन एजेंसियों का उपयोग करके अपने कर्मचारियों को स्वच्छता व्यवस्था पर प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उन्हें इसकी प्राप्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारी स्कीमों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उपयोग करना होगा।

अनुलग्नक – II

राज्य स्वच्छता योजना के लिए कार्य प्रारूप

प्रयोजन :

इसका प्रयोजन शहरी स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, नागरिकों तथा भारत सरकार में प्रायवेट सेक्टर की एजेंसियों की उनके शहरों में 100% स्वच्छता व्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए किए गए अनेक उपायों के द्वारा मदद करना है। इस नोट में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि प्रक्रिया किस तरह की होनी चाहिए। चूंकि प्रत्येक शहर मांग और जरूरत, स्थानीय स्थिति, वित्तीय व मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा नवीनताओं के आधार पर विकल्प देंगे लेकिन नोट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन से विकल्पों का चयन करना है। इसका वास्तविक उद्देश्य इसे राज्य की शहरी स्वच्छता कार्यनीति के अनुकूल बनाकर शहरों के लिए उपयोग में लाना है। इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए कुछ प्रमुख ब्लाक इस नोट में दर्शाए गए हैं, जैसा कि चित्र (1) में है।

यद्यपि रेखाओं से स्पष्ट है, लेकिन प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता है और एक चरण क्रम से दूसरे क्रम में प्रवेश को दर्शाया गया है।

राज्यों को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय–सीमा तथा अंतिम तारीख निर्धारित करनी होगी तथा एक व्यापक रोडमैप के साथ–साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवृद्धि लक्ष्य बनाने होंगे। उदाहरण के लिए वर्ष 2011 तक खुले में मल त्याग को पूर्णतया बंद करने के लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाकर एक समयबद्ध ढंग से उसे कार्यान्वित करना होगा। ऐसे सभी उपायों को शहरी स्वच्छता योजना के अंतर्गत लाकर संचालित करना होगा। यद्यपि

चित्र (1) : शहर व्यापी स्वच्छता व्यवस्था के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन व मूल्यांकन के सामान्य घटक.

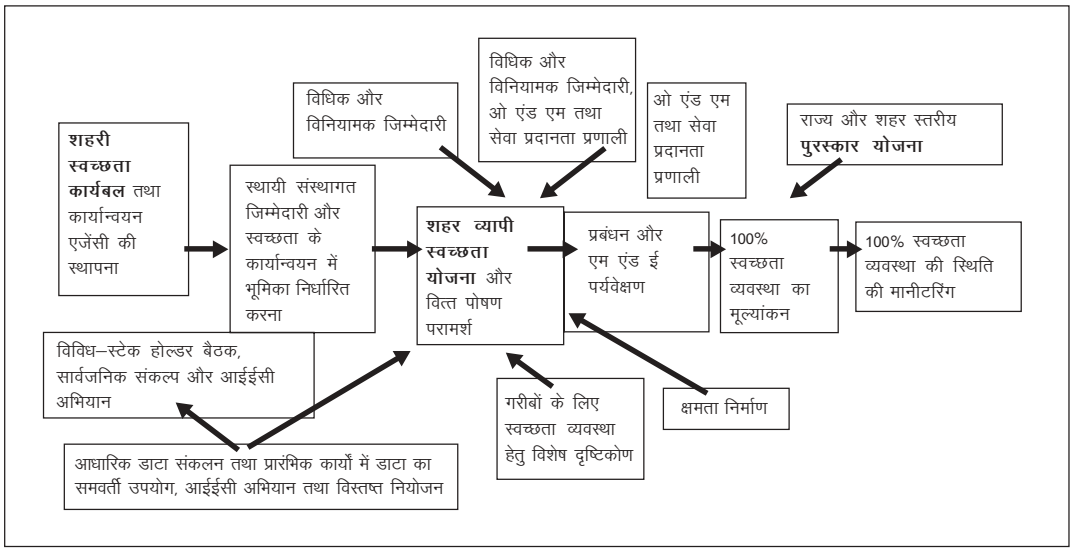

स्वच्छता योजना में कुछ कार्यकलाप अल्प वित्तीय संसाधनों से संभव हो सकते हैं, जैसे मौजूदा सुविधाओं का बेहतर उपयोग, सेप्टेज सफाई के लिए विकसित प्रबंधन प्रणाली, जागरुकता पैदा करना इत्यादि, जबकि अन्य कार्यकलाप जैसे मरम्मत करना अथवा, नए सीवर बिछाना आदि में अधिक संसाधन अपेक्षित होते हैं। शहरी स्वच्छता योजना इस बात को ध्यान में रखकर तैयार करनी होगी कि शहर कितना वित्त वहन कर सकता है। जहां तक संभव हो यह बेहतर होगा कि नए व बडे निवेश करने से पूर्व मौजूदा सुविधाओं को कामयाब बनाने के लिए सुधार किया जाए। इसके अलावा पूरे शहर के बारे में, न कि कुछेक हिस्सों अथवा केवल कुछ ही सुविधाओं के बारे में सोचना जरूरी होगा ताकि एक व्यापक व क्रमबद्ध ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपाय

प्रमुख सिद्धांत

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत तय किए गए हैं, जिनको कार्यान्वित किया जाना है।

शहरों के मार्गनिर्देशन हेतु इनका उपयोग किया जाना चाहिए :–

- सांस्थानिक भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- सोच में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता पैदा करना
- शहर–व्यापी दृष्टिकोण
- प्रौद्योगिक चयन
- वंचित और गरीबों तक पहुंचना
- ग्राहक संकेंद्रण तथा मांग उत्पत्ति
- सुस्थिर सुधार

प्रारंभिक कार्रवाई

शहरी स्वच्छता कार्यबल

स्टेकहोल्डरों को शामिल करना

शहरों को शत–प्रतिशत साफ–सुथरा बनाने में प्रथम कदम के रूप में नगरपालिका एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों तथा सबसे महत्वपूर्ण बात शहर के लोगों के बीच साफ–सफाई के बारे में चेतना जागृत करना है।

(क) एक बहु स्टेकहोल्डर शहरी स्वच्छता कार्यबल गठित करना जिसमें निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगाः

- स्वच्छता वस्तुओं के उपयोग स्थल पर ही स्वच्छता, सीवरेज, जल आपूर्ति, ठोस कचरा, जल निकासी इत्यादि स्वच्छता व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार एजेंसियां, जिनमें शहरी स्थानीय निकाय के डिवीजन और विभाग, जनस्वास्थ विभाग इत्यादि शामिल हैं।

- सफाई के कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अथवा प्रभावित एजेंसियां तथा साथ ही सिविल सोसायटी, कालोनियों, स्लम क्षेत्रों, अपार्टमेंट भवनों, इत्यादि के प्रतिनिधि
- प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा नागरिक कार्यों, स्वास्थ्य, शहरी गरीबी के कार्य में लगे व्यक्ति
- दुकानों और संस्थापनाओं के प्रतिनिधि
- शहर में अन्य बड़े संस्थानों (जैसे छावनी बोर्ड, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों के कार्यालय, इत्यादि) के प्रतिनिधि
- जल और स्वच्छता, शहरी विकास तथा बस्तियों के, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के कार्य में लगे गैर सरकारी संगठन
- स्वच्छता कर्मचारी दल, सीवरेज सफाई कामगारों, पुनर्शोधन एजंटों/कबाड़ियों इत्यादि के प्रतिनिधि
- स्वच्छता सेक्टर में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कार्यरत प्रायवेट फर्मों/ठेकेदारों के प्रतिनिधि (कचरा एकत्र करने वाले, सेप्टिक टैंक से मल निकालने वाली फर्में इत्यादि)
- शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रतिनिधि
- अन्य कोई महत्वपूर्ण एंव इच्छुक स्टेकहोल्डर

शहरी स्थानीय निकाय के कुछ चुनिन्दा सदस्यों को भी कार्यबल के सदस्य बनाया जाए। कार्यबल का मुखिया मेयर होगा तथा कार्यपालक मुखिया (अर्थात् नगरपालिका आयुक्त) संयोजक होगा। शहर द्वारा कार्य बल के भाग के रूप में शहरी स्वच्छता एम्बेसडर भी नियुक्त किया जा सकता है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और शहर के प्रमुखों तथा जनता के बीच उसकी अच्छी साख तथा प्रभाव हो। सभी राजनैतिक पार्टियों से राजनैतिक नेताओं तथा धार्मिक नेताओं को भी शामिल किया जाए ताकि स्वच्छता अभियान को सभी स्टेकहोल्डरों का पूरा सहयोग मिले और किसी भी समूह से विरोध न हो। कार्यबल द्वारा प्रारंभिक अवस्था में अनेक स्टेकहोल्डरों, अनेक पार्टी बैठकें आयोजित करने पर विचार किया जाए तथा शहर को शत–प्रतिशत साफ–सुथरा बनाने का एक औपचारिक संकल्प लिया जाए और उसका व्यापक प्रचार–प्रसार हो।

(ख) शहरी स्वच्छता कार्य बल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगाः

- शहर में शत–प्रतिशत साफ–सफाई का अभियान चलाना
- शहर के नागरिकों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच जागरुकता पैदा करना
- कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, अन्य सार्वजनिक एजेंसियों तथा साथ ही गैर सरकारी संगठनों और कार्यान्यन एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रायवेट पक्षों द्वारा मुहैया कराई गई सामग्रियों व प्रगति रिपोर्टों को अनुमोदित करना (नीचे देखें)
- नागरिकों से परामर्श करके स्वच्छता कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार शहरी स्वच्छता योजना का अनुमोदन करना
- प्रगति की निगरानी के लिए समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण करना
- प्रगति के बारे में प्रेस/मीडिया तथा राज्य सरकार को ब्रीफिंग जारी करना
- कार्यान्वयन एजेंसी को समग्र मार्गनिर्देश देना
- शहरी स्थानीय निकाय को स्थायी आधार पर शहर व्यापी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश करना।

कार्यबल, नियोजन व कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी व मार्गनिर्देशन के लिए प्रारंभिक अवस्था में लगातार औपचारिक बैठकें (दो माह में कम से कम एक बार) करेगा। बाद में आवश्यकतानुसार बैठकें

तथा फील्ड दौरे किए जा सकते हैं। कुछ शहरों में शहरी स्वच्छता कार्यबल छोटी उप समितियों के बीच कार्य व जिम्मेदारियों का विभाजन कर सकते हैं ताकि कार्यबल के समग्र कार्यों को सक्रिय रखते हुए विभिन्न पहलुओं पर सघन रूप से ध्यान दिया जा सके।

(ग) कार्यबल द्वारा प्रमुख एजेंसियों में से किसी एक को, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकाय को शहर की शहरी स्वच्छता योजना के लिए शहरी स्वच्छता कार्यान्वयन एजेंसी बनाने हेतु नियुक्त किया जाए। यह एजेंसी शहर व्यापी आधार पर स्वच्छता कार्यक्रमों के दैनिक समन्वयन, प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। यह एजेंसी अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी और संयुक्त कार्यों में सहमत होगी तथा गैर सरकारी संगठनों (समझौता ज्ञापन के मार्फत) व प्रायवेट पार्टियों (अनुबंध के मार्फत) की सेवाओं की देखरेख करेगी जिनमें आईईसी के लिए सामग्रियों को तैयार कर प्रसारित करना, आधारिक सर्वेक्षण करना तथा स्टेकहोल्डरों से परामर्श करना, व्यापक जीआईएस आधारित डाटाबेस रखना, भौतिक कार्यों का कार्यान्वयन करना, ओ एंड एम प्रबंधन अनुबंध देना तथा देखरेख करना इत्यादि है।

शहरी स्थानीय निकाय औपचारिक तौर पर शहरी स्वच्छता कार्यबल तथा कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति अधिसूचित तथा प्रसारित करेगा।

(घ) संस्थागत जिम्मेदारियां सौंपनाः शहरी स्वच्छता व्यवस्था में प्रमुख कमी का अर्थ स्पष्ट और पूरक संस्थागत जिम्मेदारियों का अभाव होना है। इसके दो पहलू हैंः (क) स्थायी आधार पर कार्यों और जिम्मेदारियों को लागू करना, तथा (ख) शहरी स्वच्छता योजना के लिए अभियान चलाने, नियोजन व कार्यान्वयन के लिए कार्य और जिम्मेदारियां–जिनके आधार पर पहले वाले की रूपरेखा तैयार करके प्रायोगिक तौर पर कार्रवाई की जाए और अन्ततः कार्यान्वित किया जाए।

स्वच्छता कार्यबल शहरी स्थानीय निकाय को शहर व्यापी स्वच्छता व्यवस्था की स्थायी जिम्मेदारी सौंपेगा, जिनमें निम्नलिखित पहलू शामिल होंगेः

- शहर स्थानीय निकाय की शहर–व्यापी स्वच्छता की अंतिम समग्र जिम्मेदारी तथा साथ ही उन्हें कार्यकरण तथा धनराशि प्रदान करना
- राज्य सरकार व भारत सरकार की योजनाओं सहित आयोजना व वित्तपोषण
- सुधार, संवर्धन सहित परिसंपत्ति सृजन
- सभी नेटवर्क, स्थल, व्यक्तिगत, समुदाय तथा सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं व प्रणालियों के लिए प्रचालन व प्रबंधन (ओ एंड एम) व्यवस्था (कचरे के अंतिम शोधन व निपटान तक ले जाने सहित)
- शुल्क निर्धारण तथा राजस्व वसूली ताकि ओ एंड एम व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।
- स्लम क्षेत्रों तथा मिले–जुले क्षेत्रों में शहरी गरीबों व वंचित लोगों के लिए विशेष ओ एंड एम व्यवस्था सुलभ कराना तथा लागू करना।
- निम्नलिखित के लिए मानक तय करनाः
  - पर्यावरण प्रभाव (उदाहरणार्थ–एफलुएंट पैरामीटरों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानक)
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव (उदाहरणार्थ–राज्य स्वास्थ्य विभाग)
  - प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थ–स्थल सेप्टेज का स्वच्छ निपटान) तथा
  - अवस्थापना (उदाहरणार्थ–डिजाइन मानक) (पीचईडी/पैरा स्टेटल) तथा
  - सेवा प्रदानता मानक (उदाहरणार्थ–शहरी विकास विभाग द्वारा)

- पर्यावरणय मानकों (उदाहरणार्थ–राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), स्वास्थ्य प्रभाव (उदाहरणार्थ–स्वास्थ्य विभागों) सहित नियामक भूमिका तय करना
- यदि कोई स्टेकहोल्डर अपनी जिम्मेदारी का उपयुक्त निर्वहन नहीं करता तो उसके उपाय
- कार्यान्वयन एजेंसी तथा संगत व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण
- विविध स्टेकहोल्डरों को शामिल करके 100% सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग

यद्यपि उपर्युक्त प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी अभियान अवधि के दौरान दक्षता और कारगरता के कारणवश एक अथवा अन्य स्टेकहोल्डरों में अस्थायी रूप से निहित होनी चाहिए, लेकिन कर्य बल यह मान्य करेगा कि ये कार्य शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच स्थायी तौर पर लागू किए जाएं। अतः बाद के स्थायी कार्य की सिफारिश अभियान अवधि से भिन्न हो सकती है।

अनेक मामलों में, नियम व विनियम मौजूद हैं लेकिन वे लागू नहीं होतें। यह कार्यों और जिम्मेदारियों को आरंभ करने का बेहतर मार्ग होगा। (ब्यौरे के लिए नीचे खंड 3.5 भी देखें)। स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन के कार्यों व जिम्मेदारियों का नीचे संगत खंड में उल्लेख किया गया है– यह शहरी स्वच्छता कार्यबल का भी कार्य होगा।

प्रारम्भिक डाटा संकलन तथा डाटाबेस/जीआईएस सृजन

प्रारंभिक उपायों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसी शहर में स्वयं स्थानीय निकाय तथा अन्य एजेंसियों के साथ मौजूद स्वच्छता व्यवस्था संबंधी सूचना संकलित करेंगे। इसमें जनसांख्यिकी, संस्थायी, तकनीकी, सामाजिक तथा वित्तीय सूचना शामिल होगी। इसके अलावा, अप्राप्त मदों के संबंध में प्राथमिक डाटा संकलन करने के लिए एक प्रायवेट एजेंसी अथवा गैर सरकारी संगठन अथवा दोनों को नियुक्त करेगी–सर्वेक्षणों में संगठित और सहभागी तकनीकों को मिलाकर उपयोग में लाया जाएगा। संकलित सभी डाटा जवाबदेह होने चाहिए, जो शहर के लिए मौजूदा अथवा प्रस्तावित भौगोलिक सूचना प्रणाली से जोड़े जाएंगे। (यदि ऐसा नहीं होता तो जल, स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की स्थापना को अंतिम रूप दिया जाए और तत्काल कार्यान्वयन में लाया जाए)। शहर के मास्टर प्लान के आधार पर नए क्षेत्रों और कालोनाइजेशन के विकास की योजनाओं के संबंध में आधारिक रेखा बनाई जाएगी। यदि मास्टर प्लान मौजूद नहीं हैं तो रीयल एस्टेट विकास सार्वजनिक प्राधिकरणों व प्रायवेट एजेंसियों से परामर्श करके समुचित व्यवस्था की जाएगी। उपर्युक्त से प्राप्त मिश्रित डाटाबेस अभियान के नियोजन व कार्यान्वयन का आधार होगा। चूंकि इस तरह के आकड़ों को एकत्र करने में अधिक समय लग सकता है, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को यह कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए और उपलब्ध होते ही इन आकड़ों का उपयोग करना चाहिए। आकड़ों को मिलाने और डाटा बेस तैयार करने की प्रक्रिया क्षमता की एक पद्धति और आयोजना एवं कार्यान्वयन कार्यों को लागू करने का एक तरीका इसे निम्नलिखित सामान्य घटकों में विभाजित करना है :–

चरण–1 आंकड़े : प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के प्रयोगार्थ

- संस्थागत पैरामीटर पर संरचनाओं, संबंधी शहरी स्थानीय निकाय और पीएचईडी आंकड़े (संगठनात्मक ढांचा, निवेश और परिसंपत्ति, कार्मिक, ओ एण्ड एम प्रणाली एवं वित्त)

- परिवारों, जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी संबंधी वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े अथवा गरीब परिवारों के लिए संकलित अन्य स्कीमों के आंकड़े
- सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था संबंधी शहरी स्थानीय निकायों के आंकड़े और यात्रा एवं उपचार संबंधी अप्रमाणित आंकड़े

चरण–2 आंकड़ेः आईईसी अभियान और संपूर्ण शहर आधार पर शत–प्रतिशत पहुंच आयोजना के प्रयोगार्थ

- निपटान एवं दूरप्रेषण (सीवर, तत्स्थाने गर्तों, और चूषण मशीनों की उपलब्धता और उनका प्रयोग इत्यादि) एवं शोधन प्रणाली (लैंडफिल स्थलों, रिसाइकिलिंग इत्यादि) संबंधी प्रायोजिक गौण आंकड़े।
- परिवारों में सफाई व्यवस्था एवं कूड़े के निपटान की इकाई व्यवस्था और अच्छे व्यवहारों एवं सेवाप्रदत्तों के बारे में धारणाओं संबंधी बेसलाईन प्राथमिक आंकड़े।
- नागरिकों की माग आधारित स्वच्छता व्यवस्थाओं, परिणामों एवं स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संबंधों के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में बेसलाईन प्राथमिक आंकड़े।

चरण–3 आंकड़ेः संस्थागत परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण एवं उन्नयन, सुधार और परिसंपत्तियों में नवीन निवेशों एवं ओ एंड एम प्रणाली, एम एंड ई प्रणाली इत्यादि की आयोजना एवं कार्यान्वयन

- प्रबंध, निपटान और उपचार प्रणाली के सैंपल कंडीशन एसेसमेंट सर्वे (उपरोक्त पैरामीटर देखें) पर आधारित प्राथमिक आंकड़े
- मौजूदा और आवश्यक कौशलों और क्षमताओं, प्रणाली और प्रक्रिया, वित्तीय स्थिति पर संस्थागत मूल्यांकन विस्तृत सूचना
- सामाजिक–निजी स्वच्छ और जन स्वास्थ्य व्यवहार और प्रक्रियाएं
- विभिन्न विकल्पों को करने के लिए स्वेच्छा पर आर्थिक–सर्वे
- ओ एंड एम, राजस्व एवं किराए, समुदाय की समुदाय प्रबंधन प्रणाली और समीपस्थ स्तर प्रणाली की वित्तीय लागत

प्रायः शहर के आकार (श्रेणी–2 और इससे ऊपर) और इसकी जटिलताओं के आधार पर लगभग तीन से चार महीने में एक बेसलाईन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। श्रेणी 3 और इससे नीचे के शहरों में बेसलाईन अध्ययन करने के लिए दो महीने पर्याप्त हैं। चेकलिस्ट, सूची इत्यादि का प्रयोग करके प्रेक्षण और समुदाय और घरेलू क्रियाओं सहित संस्थागत और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ भागीदारी दृष्टिकोण जोड़ना आंकड़े एकत्रण को सफल और किफायती बनाता है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बेसलाईन सभी संपत्तियों और परिवारों/एककों की गणना नहीं है। इसके बजाए यह एक मूल्यांकन है जिसमें प्रायः सैंपलिंग का प्रयोग करके शहर में व्याप्त सभी प्रतिनिधित्व प्रकार की स्थितियों को पूरा करने, ताकि बाद में बेसलाईन तुलना करके प्रगति को मापा जा सके। अति तत्काल, शहर–वार स्वच्छता व्यवस्था की योजना बनाने हेतु बेसलाईन अध्ययन आवश्यक है। बेसलाईन अध्ययन के दौरान तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, शहरी गरीब इत्यादि सभी पहलुओं को शामिल करने और इस बात के प्रति सजग होने कि इनमें से कोई पहलू छूट न जाए की सलाह दी जाती है। यदि कम अवधि में भी बेसलाईन अध्ययन पूरा किया जाता है तो यह आवश्यक है कि योजना प्रक्रिया को लंबे समय तक रोका न जाए– इसके अलावा आंकड़े एकत्रण और रिकार्ड के अद्यतन का कार्य बाद में भी जारी होना चाहिए, और शहरी स्थानीय निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसी की कार्यान्वयन प्रबंधन प्रणाली का भाग बनता है।

जागरूकता उत्पन्न करना और 100% स्वच्छता व्यवस्था अभियान शुरू करना

गौण और प्राथमिक स्रोतों, और काम कर रहे कार्यबल के आंकड़ों (उपरोक्त देखें) के उचित मिलान किए जाने के बाद, सबसे पहला कार्य एक 100% स्वच्छता व्यवस्था अभियान शुरू करना होगा। यह राष्ट्रीय मीडिया अभियान भारत सरकार से आदर्श रूप में जुड़ा होगा, और एक राज्यवार अभियान जिसे राज्य सरकार शुरू करने के लिए चुन सकेगी। अगर आवश्यक हो तो कार्यबल के साथ मिलकर कार्य करने हेतु एक व्यावसायिक मीडिया एजेंसी और शहरों में विभिन्न स्टेकहोल्डर समूहों को प्रभावी रूप से संदेशों के पैकेज और निर्देशित करने हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी बनाई जा सकती है। विशेष स्टेकहोल्डरों जैसे स्लम–निवासियों इत्यादि सहित ग्रुप मैसेजिंग और घर–घर जाकर प्रचार के लिए एनजीओ को नियुक्त किया जा सकता है। स्कूल और कालेज अपनी संस्थाओं के साथ–साथ इनसे जुड़े परिवारों में इस संदेश को पहुंचाने में एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं।

शहरी स्तर पर इस अभियान को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में शुरू करने की सलाह दी जाती है ताकि सभी स्टेकहोल्डर इसके लिए कार्य करें। उचित मीडिया जैसे समाचार पत्र, टीवी और शहर और वार्ड/समीपस्थ स्तर कार्यक्रम (सड़कों की सफाई, स्वास्थ्य कैंप, पौधा रोपण इत्यादि) को शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में पहला दौर व्यापक कार्यक्रम का होना चाहिए। उसके पश्चात वाले कार्यक्रमों में विशिष्ट पहलुओं अथवा विशेष किस्म के स्टेकहोल्डरों अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। इसका एक तरीका यह है कि कुछ शहरों अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों को साप्ताहिक अथवा अर्द्धवार्षिक आधार पर स्वच्छ शहर घोषित करना चाहिए। कार्यबल को इन अभियानों की अगुवाई करने के लिए नेताओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सूची बनानी चाहिए। प्रत्येक अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए संदेश और मीडिया/अभियान कार्य योजना सुनियोजित ढंग से बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हैं (यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, एचआईवी/एड्स इत्यादि) जिनमें मीडिया अभियान चलाने की जरूरत है। शत–प्रतिशत स्वच्छता व्यवस्था अभियानों का आयोजन इस प्रकार की एजेंसियों के समन्वय में किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के पहल प्रयासों का अत्याधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। जहां तक संभव हो स्वच्छता संबंधी संदेशों को अन्य अभियानों के लिए भी प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उन अभियानों को प्रभावशाली बनाया जा सके।

विधिक एवं विनियामक संस्थागत जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करना

हालांकि अनेक नगरपालिका के कानूनों में परिवारों और शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि की स्वच्छता व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है परंतु इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी इस बारे में कानून एवं नियमों की जांच करेगी और निम्नलिखित के बारे में स्पष्ट नियम बनाने हेतु कार्यबल को सिफारिशें करेगी।

- एकक स्तर (परिवार/प्रतिष्ठान) पर सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था
- सुरक्षित संग्रहण के लिए डिजाइन एवं प्रणाली
- परिवहन/वहन के लिए मानक
- शोधन एवं अंतिम निपटान

संस्तुत मानक एवं मार्गदर्शी सिद्धांत सीपीएचईईओ नियमावली और पर्यावरण संबंधी अधिनियमों में उपलब्ध है। इनके ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन और अनुवीक्षण एवं विनियामक जिम्मेदारियों को निर्धारित करने सहित औपचारिक रूप से अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रयोक्ता प्रणाली प्रभारों/शुल्कों, अर्थदण्डों और सामुदायिक दबाव वांछित जन स्वास्थ्य प्रणाली को अपना सके। संस्थानों की असफलता के मामले में की जाने वाली कार्रवाई को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

उपरोक्त सभी सिफारिशों पर कार्यबल द्वारा विचार किया जाएगा और इन पर उचित कार्रवाई करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को सिफारिश की जाएगी। बड़े परिवर्तनों पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है जबकि विधिक मामले यदि वे शहरी स्थानीय निकाय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं तो राज्य सरकार को भेजे जा सकते हैं। स्वच्छता व्यवस्था संबंधी कार्यबल के विशेषज्ञ सलाहकार कार्य संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए कार्य करेंगे और इन मामलों पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श किया जा सकता है यदि स्वच्छता व्यवस्था संबंधी मानक स्पष्ट नहीं है। अंतरिम एवं कार्यक्रम संबंधी मानक तत्काल अपनाए एवं लागू किए जाने हेतु पर्याप्त हो सकते हैं जबकि संक्षिप्तीकरण और विस्तारीकरण का कार्य साथ–साथ किया जा सकता है। सभी मामलों में कार्यबल कुल लक्ष्यों अथवा शत–प्रतिशत स्वच्छता व्यवस्था आधारित मानदंड बनाने का प्रयास करेगा, और जहां तक संभव हो शहरी स्थानीय निकायों और जनता द्वारा समझने और अनुसरण करने हेतु सरल और आसान हो।

आयोजना एवं वित्तपोषण

आयोजना और वित्तपोषण का पता लगाने का कार्य कार्यबल का होगा लेकिन इनका निष्पादन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। यह एजेंसी संस्थानों, सामाजिक, तकनीकी, वित्तीय आदि समेत विभिन्न पहलुओं हेतु शहर की योजनाएं तैयार करने के लिए सहायता करने के लिए सलाहकारों की सहायता लेंगी। सभी चरणों में योजनाएं व्यापक होनी चाहिए और इनमें संपूर्ण शहर शामिल किया जाना चाहिए न कि शहर का कोई भाग अथवा पहलू। अतः अनेक नवीन उपायों का उपयोग करना होगा।

राज्य सरकारों के अपने संसाधनों के अलावा भारत सरकार के जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत यूआईजी, यूआईडीएसएसएमटी और बीएसयूपी वित्तपोषण संसाधन (अन्य कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर भाग के लिए विशेष कार्यक्रम और सेटेलाइट टाउन स्कीमें आदि हैं) प्राप्त करने के प्रमुख कार्यक्रम हैं। आयोजना उपर्युक्त वित्तपोषण संसाधनों के आधार पर बनाई जानी चाहिए (इसके अलावा ग्राहक संपर्क शुल्क, प्रयोक्ता प्रभारों आदि के रूप में भुगतान करने के रूप में क्या भुगतान करना चाहते हैं) और शत प्रतिशत सफाई प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। शहरों और राज्यों द्वारा अपनी स्वच्छता व्यवस्था संबंधी योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए वित्त के अन्य स्रोतों का पता लगाए जाने की भी जरूरत है क्योंकि भारत सरकार की स्कीम संबंधी संसाधन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इस संदर्भ में यह तथ्य भी नोट किया जाए कि निवेशों को वित्तीय रूप से सुस्थिर बनाएं जाने की जरूरत है इसलिए शहर इस आधार पर कि वे मध्यमावधि में क्या वहन कर सकते हैं और किससे अधिक ऋण भुगतान वापसी अथवा भविष्य में कभी होने वाले ओ एंड एम प्रबंधन व्यय की जिम्मेदारियों से बचने के लिए विकल्प (असंरचना और सेवा स्तरों के विभिन्न स्तरों) निर्धारित कर सकते हैं।

शहरी स्वच्छता व्यवस्था योजना (सीएसवी) अवश्य तैयार की जानी चाहिए और कार्यबल को अनुमोदनार्थ कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि सीएसपी का वास्तुतः विषय स्थानीय स्थिति के अनुसार बदल सकता है परंतु निम्न पहलू इसमें शामिल होने चाहिएः

- स्वच्छता व्यवस्था के लिए उत्तरदायी संस्थानों/संगठनों के विकास की योजना और उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां;
- विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों और ओएण्डएम प्रणालियों के लिए शत–प्रतिशत सफाई को सुनिश्चित करने की योजना (सुधरती मौजूदा प्रणालियां, पूरक सुविधाएं, पीपीपी का प्रयोग करते हुए ओएण्डएम प्रबंधन ठेके और सामुदायिक प्रबंधन इत्यादि);
- सेवा प्रावधान हेतु लागत और किराया ;
- वित्तीय स्थिरता के साथ–साथ उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बकाया राशि को इकट्ठा करने के मामले पर बल दिया जाना चाहिए ;
- नवीन विकास क्षेत्रों/बाजार और जन स्थानों; और निवासों और अन्य आवासों के लिए निवेश और ओएण्डएम प्रणालियां;
- सुरक्षित संग्रहण, वहन और सफाई के बाद बचे कूड़े के शोधन हेतु योजना ;
- शत प्रतिशत सफाई प्राप्त करने और इसे बनाए रखने (सामुदायिक निगरानी के उपयोग सहित इत्यादि) और कार्यान्वयन के पश्चात रख रखाव हेतु योजना;
- जल संसाधनों का समाप्त होना, मौसम परिवर्तन का प्रभाव, खास उन्हीं स्थानों पर कम ऊर्जा का प्रयोग/अस्वच्छ जल शोधन प्रौद्योगिकी का विकेन्द्रीकरण वितरित उपयोगिता इत्यादि जैसे मामले;
- मानव शक्ति मामले जैसे कि पर्याप्त वेतन, खतरनाक प्रकृति का कार्य, पारदर्शी नियमों एवं विनियमों के आधार पर रोजगार, आधुनिक एवं सुरक्षित प्रौद्योगिकी, पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान जैसे कि दस्ताने, जूते, मास्क, नियमित स्वास्थ्य चेकअप और दुर्घटना इंश्योरेंस इत्यादि;
- स्थानीय महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं के लिए योजना।

कुछ बड़े शहर क्षेत्रीय/जिला अथवा वार्ड–वार आधार पर योजना तैयार करने के लिए चयन कर सकते हैं। सम्बन्धित वार्डों/क्षेत्रों के स्टेकहोल्डरों को संचारित करने और प्रतिस्पर्धा बनाने का यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। तथापि, हर वक्त, इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि कार्य

और निगरानी की सुविधा हेतु इस तरह के खण्ड सीमित है और स्वच्छता व्यवस्था एक शहर–वार उपलब्धि अवश्य होनी चाहिए। अतः कार्यबल की उपरोक्त निर्दिष्ट सीएसपी के सभी क्षेत्रीय और क्रियात्मक घटकों के एकीकरण को सुनिश्चित करने में विशेष भूमिका होगी।

स्वच्छता व्यवस्था प्रयासों के लिए इकट्ठी और सामूहिक भावना को दर्शाने वाली विस्तृत ओनरशिप को प्रोत्साहन देने हेतु स्वच्छता व्यवस्था विकास के विभिन्न चरणों पर इसका फीडबैक पाने हेतु सिटी सैनिटेशन प्लान को जनता को सौंप दिया जाना चाहिए। सिटी स्वच्छता व्यवस्था कार्य बल के इन्क्लूसिव और रिप्रैजैन्टेटिव स्वरूप होते हुए भी, यह शहरों के फायदे के लिए होगा यदि इस योजना में अधिक से अधिक स्टेकहोल्डर योगदान देने में उपलब्ध होते हैं। कार्यबल द्वारा कम से कम एक, या अनुमानतः दो (प्रारूप और अंतिम चरण) सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।

तकनीकी विकल्प

भारतीय शहरों में प्रौद्योगिकी चयन एक मुख्य समस्या है जिसका कारण केवल मौजूदा जानकारी की कमी होना ही नहीं है अपितु भूमि, अवधि और ऐतिहासिक स्वच्छता व्यवस्था के अनुसार कम बजटीय प्राथमिकता की प्रतिकूलता के कारण भी है। रूढ़ीवादी प्रौद्योगिकियों का प्रयोजन करके निवेशों का अनुमान होता है जो किसी भी बढ़ते कार्य को विचलित और गतिहीन करता है। तकनीकी विकल्पों हेतु मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :–

- प्रौद्योगिकियां अनुवर्ती पूंजी ओर ओएण्डएम लागत और प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप होती है जो दिए गए समय में किसी शहर की स्थिति के लिए उचित या अनुचित हो सकती है। प्रायः हम उन योजना प्रणालियों में घिर सकते हैं जो वित्तपोषण में कठिन, संस्थान इनके लिए और इनके संचालन और रखरखाव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, और लोग इन्हें अपनाने और सेवा प्रावधान हेतु राशि देने के लिए तैयार अथवा इच्छुक नहीं। इसके साथ–साथ प्रौद्योगिकी पूर्ण पर्यावरणीय, व्यवहारीय, सांस्कृतिक पेरामीटर से जुड़ी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी चयन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। (नीचे भी देखें)
- मौजूदा कठिन स्थितियों (उदाहरणतः नालियों में जल निकास के सघन क्षेत्रों) के उन्नयन के विषय में सोचने और प्रणाली को स्वच्छ और सुरक्षित और उनकी मौजूदा क्षमता के अनुसार काम करने के लिए रिट्रो–फिटिंग विकल्प के प्रति दृष्टिकोण।
- प्रौद्योगिकियों को विकसित बनाने की आवश्यकता है– जैसे अगर सघन आवासन हेतु सीवर आदर्श रूप है, तो ये तत्काल कार्य हेतु साध्य नहीं हो सकते हैं। इस तरह के मामलों में, अंतरिम प्रणाली (उदाहरणतः यदि जगह प्रतिकूल है तो उसी स्थान पर, सामुदायिक सैप्टिक टैंक या शौचालय) को बाद में और अधिक आधुनिक बनाने (जैसे सीवर) को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा सकती है।
- नवीन विकास क्षेत्रों हेतु प्रौद्योगिकी और अनुवर्ती प्रणालियां पहले से ही नियोजित की जा सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में और अधिक स्थिर और सस्ती प्रणाली में शीघ्र निवेश होगा।
- प्रौद्योगिकियां मात्र एक साधन हैं न कि अपने आप में इसका अन्त। ये स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षित परिशोध और निपटान में सक्षम होनी चाहिए अतः इनको तैयार करने में इस बात को ध्यान में रखना होगा।
- शोधित खराब जल के रिसाईकल और पुनः उपयोग हेतु प्रोत्साहन देने वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

मौजूदा विकल्पों पर कुछ नवीन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुभव के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है–

उदाहरणतः "द गाईड टू डिसिजन मेकिंगः– टैक्निकल ऑप्शन फॉर अर्बन सेनिटेशन इन इंडिया" (प्रारूप, डब्ल्यू एस पी, 2007)। इनकी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जांच की जाने की आवश्यकता है, और जहां आवश्यक हो, वहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर एजेंसियों और निजी और सामुदायिक सैक्टर से विशेषज्ञ की सलाह ली जाए। सुविचारित निर्णय लेने हेतु एक्सपोजर भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक होंगे। अंततः ग्राहक इस प्रणाली का मुख्य अंग होंगे – परिवारों और संस्थाओं से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि वे विचाराधीन प्रणाली के प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों से अवगत होकर अपनी प्राथमिकता बता सकें।

प्रौद्योगिकी चयन द्वारा शहर–वार चुनौतियों का समाधान होना चाहिए–मामलों को पूरी तरह न कि टुकड़ों में सुलझाने के लिए कई विकल्पों को जोड़ा जाए।

अन्ततः प्रौद्योगिकियों को एकक स्तर पर प्रबंध के पूर्ण चक्रण, वहन/परिवहन, और अंतिम शोधन और पर्यावरण में निपटान के लिए नियोजित करने की आवश्यकता है। प्रणाली का कोई भी मिश्रण जिसमें शत–प्रतिशत सुरक्षित संग्रहण, वहन और शोधन नहीं हो वह शहर की शत प्रतिशत स्वच्छता व्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा।

स्थिति विश्लेषण अध्ययन से पता चलता है कि काफी निर्णय लेने और एकक स्तर पर निवेश परिवारों और संस्थाओं द्वारा किया जाता है–जिसमें प्रबंध पर अधिक और निपटान पर कम ध्यान होगा। सार्वजनिक एजेंसियां निपटान और शोधन से संबंधित हैं परंतु इनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की सीमा स्पष्ट नहीं है। अधिकतर नहीं परन्तु कई मामलों में सार्वजनिक एजेंसियां, सार्वजनिक अवस्थापना और निपटान और शोधन की प्रणालियों जैसे सीवर प्रणाली, सीवर शोधन संयंत्र के अनुरूप अधिक ध्यान देने में भी असफल हैं या परिवारों के लिए उन पर उनकी समस्याओं को सुलझाने (जैसे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए छोड़ दिया है। अतः प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए योजना तैयार करते समय ओ एण्ड एम और स्थिरता के मामलों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

वंचित आबादी और शहरी गरीबों तक पहुंच

भारत के विभिन्न शहरों से मिले अनुभव से पता चलता है कि गरीबों का वह वर्ग जिनके स्वास्थ्य पर इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनकी जीविका समाप्त हो चुकी है, के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली स्वच्छता व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

हल्के संस्थापन पर विचार करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण और इन्हें स्वच्छता व्यवस्था के लिए प्रबंधन और योजना में शामिल करने की आवश्यकता है। कई बस्तियों में विधिक ऑन–साईट स्वच्छता–व्यवसथा के प्रावधान में सहयोग करने के लिए आवश्यक नियम हो सकते हैं। (जैसे अहमदाबाद में कई क्षेत्रों में प्रयास किया गया इत्यादि) जो कई क्षेत्रों में अनुकरणीय है और स्वामित्व एवं विधिक संबंधी मामले, निजी शौचालयों के प्रावधानों में रोड़े डालते हैं इसलिए सामुदायिक

शौचालय ही तत्काल समाधान और उपाय हैं। (जैसा कि मुम्बई और पुणे के मामले में है इत्यादि)। कुछ सघन आबादी वाले स्थानों में परम्परागत और कम गहरे सीवरों ऑन–साईट उपायों के रूप में बनाया गया है। नवीन साधनों की योजना बनाने में समुदायों से गहन परामर्श करने में विधिक/टेनयोर, स्थल और वहनीयता संबंधी मामलों की जांच एक मुख्य कदम है जो उपयोगकर्ता का स्वामित्व होगा और स्थायी रूप से इन्हीं के द्वारा इसका प्रबंध किया जाएगा।

बस्ती के समुदाय में गतिशीलता लाने में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, जब समुदाय समूह स्वयं सामुदायिक सुविधाओं के संचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं तो सुविधाएं सतत् मुहैया कराना संभव हो जाता है। लागत कम और सबसे गरीब परिवारों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का यह भी एक तरीका है (उदाहरणार्थ भुगतान करो और सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करो)।

जनसंख्या का एक अन्य भाग स्लम रहित अलग–अलग शहरी क्षेत्रों में रहता है जहां आमतौर पर कोई स्वच्छता व्यवस्था नहीं होती अथवा उन आवास समूहों में रहता है जिन्हें स्लम के रूप में कानूनी रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। इन जनसंख्या समूहों को भी सेवायें प्रदान करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत है।

यह तथ्य नोट किया जाए कि सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सामान्य जन और अस्थायी जनसंख्या के लिए होती है जबकि शहर वे हैं जिनमें मुख्य प्रयोगकर्ता का समूह रहता है। यद्यपि अस्थायी जनसंख्या इन सुविधाओं का कभी–कभार ही प्रयोग कर सकती है।

कार्यान्वयन एजेंसी को शहर में कानूनी और गैर–अधिसूचित बस्तियों का जायजा लेने और गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) की सहभागिता से संयुक्त प्लानिंग और सेवायें प्रदान करने की एक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होगी। स्वच्छता व्यवस्था सेवायें बेहतर जल आपूर्ति, जल निकासी सुधार और समुदाय द्वारा प्रबंध किये ठोस कचरा निपटान प्रणाली हेतु एक प्रवेश बिन्दु के रूप में भी कार्य करेंगी, –स्वच्छता व्यवस्था की प्लानिंग करते समय इन क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया जाए।

स्वच्छता व्यवस्था के क्षेत्र में कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि शहरी गरीबों के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। शहरी गरीबों को दोहरी इमदाद सहायता प्रदान करने और संचालन और रख–रखाव प्रभार की वसूली में उनकी भागीदारी के मामलों का भी समाधान किया जाए।

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय बड़ी लागत के बारे में सभी हितबद्धियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए जो कि सभी नागरिकों को व्यापक रूप से सेवायें मुहैया कराने पर वहन करनी पड़ती हैं। दृष्टिकोण में इस परिवर्तन को लाने के लिए दो कदम आवश्यक हैं : (क) शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारी के लिए ओरिएंटेशन (अभिमुखीकरण) कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए और (ख) सभी गरीब परिवारों के साथ–साथ उन परिवारों, जिनके पास सुविधायें नहीं हैं अथवा वे खुले में शौच जाते हैं, एकत्र करने और निपटान हेतु स्वच्छता व्यवस्था नहीं है, को आवश्यक रूप से सेवायें प्रदान करने और परिणाम की समीक्षा करने के लिए गैर–सरकारी संगठन और सीबीओ के साथ प्रबंधन पूरकता के साथ शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी प्रणाली स्थापित करना।

संचालन और रख–रखाव और सेवा सुपुर्दगी प्रणाली

संचालन एवं रख–रखाव हेतु संस्थानिक प्रणाली किसी भी सफल समूह और 100% स्वच्छता व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का अंग है। ऊपर दी गयी रूप रेखा के अनुसार, संस्थानों हेतु जिम्मेवारी को अच्छी तरह परिभाषित नहीं किया गया है और शर्तों का भी उचित पालन नहीं किया गया।

अतएव, वर्तमान प्रणालियों को इस प्रश्न के साथ जांचा जाए : प्रणाली के रख–रखाव अथवा इसके एक भाग के संचालन और रख–रखाव के लिए कौन सी एजेंसी या संस्था की जिम्मेदारी है ? यदि वे अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते, कौन सी कार्यवाई या उपाय है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? नये निवेश हेतु एक तरह के प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है जिससे कि उचित संचालन और रख–रखाव की कमी से परिसंपत्ति प्रभावित नहीं होंगी। एक शहरी व्यापक परिदृश्य आवश्यक है क्योंकि संचालन और रख–रखाव स्वच्छता प्रणाली के सभी भागों के लिए अपेक्षित है। क्या उनको मल–मूत्र हटाने या जल निकासी या ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य करना है। संस्थानिक जिम्मेवारी भी तकनीकी चयन, डिजाइन और परिसंपत्ति के कार्यान्वयन/सृजन के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।

जबकि सीवरेज प्रणाली में परिवारों के लिए सीमित जिम्मेवारी (अपनी संपत्ति से सबसे समीप गली का जुड़ाव) है, बाकि हस्तांतरण प्रणाली हेतु संस्थानों की जिम्मेदारी में काफी संख्या में व्यैक्तिक, वित्त और प्रोत्साहन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनका आकलन और स्पष्ट रूप से समाधान किए जाने की आवश्यकता है – तुरंत उपाय खोजने के लिए जिम्मेदारी सौंपे गये संगठन (शहरी स्थानीय निकाय विभाग या पीएचई एकक) में छोटे संसाधनों, में भी नवीनता लायी जाने की आवश्यकता है जबकि संचालन और रख–रखाव में सुधार हेतु एक अधिक व्यवस्थित और नियोजित कदम योजना के दौरान कार्यान्वित किये जायें।

अधिकांश साईट–प्रणाली में, परिवारों को अपना बचाव खुद करना है – प्रायः नालों और गंदी नालियों में कूड़ा कचरा डालने जैसे अस्वास्थ्यकर और अवैद्य व्यवहार पर कोई रोक नहीं है। इनको संबंधित पब्लिक एजेंसी से छूट के अंदर लाये जाने की आवश्यकता है और इसको समुचित रूप से विचार किया जाए। गंदगी हटाने की सेवायें एक अन्य क्षेत्र है जहां शीघ्र कार्रवाई शुरू की जा सकती है और परिवारों से आवश्यक शुल्क वसूल किया जा सकता है।

जल निकासी और ठोस कचरे में भी, काफी उपाय शुरू किये जा सकते हैं (इनमें से कुछ को बहुत से भारतीय शहरों में ठोस कचरा निपटान में सफलतापूर्वक अपनाया गया है) जो यह सुनिश्चित करें कि मुहैया की जाने वाली संचालन और रख–रखाव सेवायें उचित हैं और उपभोक्ता परिवारों का भी हिस्सा और इनके बनाने में इनकी भूमिका है।

शहर में प्रत्येक स्वच्छता व्यवस्था सुविधाओं के लिए संचालन और रख–रखाव प्रोटोकॉल तैयार करना इस दिशा में एक अच्छा कदम है और उनके द्वारा अनुपालन करने की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों, चुने गये प्रतिनिधियों और समुदाय सदस्यों द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।

संचालन और रख–रखाव प्रायः प्रभावित होता है, क्योंकि ग्राहक इसे एक सेवा के रूप में नहीं मानते और खराब सेवा स्तर के लिए अदा नहीं करते। संचालन और रख–रखाव सेवा प्रावधान की स्थिरता

से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और अतः कार्यान्वयन एजेंसी को वर्तमान भविष्य के सेवास्तरों में सुधार करने की वित्तीय बाधाओं का पूरा जायजा लेना चाहिए। सीएसपी के भाग के रूप में, संचालन और रखरखाव की लागत की वसूली या वित्त पोषण करने के तरीके पर शहरी कार्यबल को प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

ग्राहक शिकायतें और निवारण व्यवस्था ध्यान केन्द्रित किये जाने के अन्य दूसरे मुख्य क्षेत्र हैं; महत्वपूर्ण बदलावों में से एक जिससे शहरी स्थानीय निकायों या सेवा प्रावधान एजेंसी को प्रभावित किये जाने की आवश्यकता है। उसमें नागरिकों के साथ सेवा लेने वाले ग्राहकों के रूप में व्यवहार किया जाना है। तदनुसार, सतत् सुधारों के लिए शिकायत, निवारण और फीडबैक व्यवस्था बनायी जा सकती है। उचित ग्राहक प्रलेख तैयार करना और निर्धारित फीडबैक लेना जन सेवाओं में सुधार लाने में अन्य क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम सहित पहले ही अपनाये गये तरीके हैं। ओरियेंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करना, ग्राहक संबंधी प्रणाली और वैयक्तिक निष्पादन के साथ संचालन और रख–रखाव निष्पादन से जोड़ना बेहतर सेवा प्रदात्ता व्यवस्था के कार्यान्वयन की जांच करने के तरीके हैं।

अंततः अधिकांश मामलों में, परिवार और समुदाय संचालन और रख–रखाव कार्य करने या उनके निष्पादन की निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह दृष्टिकोण विशेषतया उन समुदायों के लिए इकट्ठे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के समय ठीक है और या जहां एक विशेष व्यवहार (वैयक्तिक कार्य अन्य लोगों को आसानी से प्रभावित करते हैं) की उचित बहिर्मुखता हैं। शहर के रख–रखाव, प्रबंधन, आस पास के क्षेत्र में सफाई बनाये रखना, नाली और नालों को साफ रखने, गली की सफाई आदि ऐसे उदाहरण हैं, जहां समुदाय समूह द्वारा सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी आसानी से हो सकती है। अपेक्षाकृत गरीब पड़ोस और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के मामले में, इन कार्यों में से कुछ कार्य स्थानीय समूहों को भी औपचारिक रूप से सौंपे जा सकते हैं।

क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की भूमिका 100% स्वच्छता व्यवस्था के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण, स्वच्छता व्यवस्था क्या हो और कैसी हो, यह शहरी स्थानीय निकाय में वैयक्तिक के एक छोटे समूह/सेवा प्रदाता एजेंसी तक सीमित है – ये कौशल भी लागू होने के कम अवसर और यदा–कदा विशिष्ट कार्य की संकीर्ण प्रवृत्ति के कारण देय समय सीमा से बाहर चले जाते हैं। अतः ये दो व्यापक प्रकार के हस्तक्षेप आवश्यक है :

(क) संपूर्ण स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाने हेतु ओरिंटेशन कौशल निर्माण और अभिरूचि
(ख) अच्छे प्रकार के स्वरूप, जुड़ाव और संगठनात्मक प्रणाली और पर्यावरण मुहैया कराने के लिए शहरी स्थानीय निकायों या सेवा व्यवस्था एजेंसी में कार्यप्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन करना जिससे कौशल और उपर्युक्त दिये गये परिदृश्य का उपयोग हो सके।

क्षमता वृद्धि का कार्य बड़ा है – इसमें सामान्यतः लघु स्तर के संचार और वर्तमान ज्ञान के प्रचार और विभिन्न प्रौद्योगिकी के साथ कार्य के अनुभव, प्रबंधन क्षेत्र, संगठनात्मक प्रणाली और प्रक्रिया और सांस्थानिक संबंध शामिल हैं। अतएव यह करके सीखना वाले स्वरूप में वर्तमान तथा नये ज्ञान को

लागू करने और समेकन करके अनुकूल तरीके से उन पर क्षमता निर्माण की एक दोहरी कार्यसूची है जो विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को एक सीमा तक शामिल करने में सक्षम हैं। गैर–सरकारी संगठनों सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संसाधन संगठन को इस बड़ी कार्य सूची में सहायता के लिए शहरी कार्य बल द्वारा लाये जाने की आवश्यकता है – जिसे स्वच्छता अभियान, नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी तथा मूल्यांकन के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार, विशेष संस्थानों को संघ और राज्य सरकार की सहायता से शीघ्र कार्य में लगाये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रौद्योगिकी और प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में ज्ञान का विकास शहर के लिए अनुकूल बनाने के लिए शीघ्रता से उपलब्ध हो सके। गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका भागीदारी तरीके और शहरी गरीबों और सुविधा विहीन परिवारों के लिए प्रयोग की जाने वाली परामर्श तकनीकों हेतु प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण होगी।

दक्षता निर्माण कार्यसूची में दो नीतियां विचारणीय है : क) शहर में अभियान के प्रारंभ से ही नगरपालिका, गैर–सरकारी संगठनों/सीबीओ, निजी क्षेत्र के सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, ख) स्वच्छता योजना कार्यान्वयन की अवधि में सरकारी और गैर–सरकारी अधिकारियों का मांग पर आधारित पृथक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण।

प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण की एक आम कमी प्रोत्साहनों तथा ज्ञात परिप्रेक्ष्य व दक्षता का उपयोग करने में संगठनात्मक वातावरण का अभाव है। इससे पता चलता है कि कार्यदल तथा कार्यान्वयन संगठनों की आवश्यकता है जो अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण की इस प्रकार योजना बनाएंगे कि उनकी दक्षता का उत्पादक उपयोग किया जा सके।

निजी क्षेत्र की एजेंसियों, सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों, प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण संस्थानों को अभियान में शामिल किया जाए ताकि वे अपेक्षित मूल्यांकन करें और भविष्य में शहरी स्थानीय निकायों व अन्य हितबद्धों के सांस्थानिक ढांचे में कार्यान्वयन चक्र तथा उपयुक्त प्रथाओं के प्रचलन द्वारा मानव संसाधन विकास और दक्षता विकास के लिए नीति तैयार करने में कार्यदल की मदद करें।

कार्यान्वयन प्रबंधन तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन

कार्यान्वयन प्रबंध

यदि आयोजना स्तर पर जल्दबाजी की गई अथवा वास्तविकता को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया (जिसमें वर्तमान परिसम्पत्तियों, वित्त, दक्षता तथा सप्लायर व फेरीवालों की उपलब्धता और अन्य पर्यावरणीय स्थितियां शामिल हैं) तो कार्यान्वयन प्रबंध का कार्य दुर्वह हो सकता है। हालांकि समग्र कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी उत्तरदायी होगी तथापि योजना के प्रत्येक घटक के लिए कार्यान्वयन तथा सुपुर्दगी तंत्र (जैसा कि उपर्युक्त धारा 3.6 में बताया गया है) की योजना बनाना उचित होगा। विशिष्ट घटकों से पता चलता है कि इन कार्यों के लिए घरेलू संसाधन (जैसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में) लगाने होंगे अथवा कार्यान्वयन के लिए निजी अथवा गैर–सरकारी संगठनों के सेवादाताओं से अनुबंध करना होगा अथवा उन्हें कार्य सौंपना होगा। इन कार्यान्वयन एजेंसियों में निम्नलिखित प्रकार की दक्षता तथा सक्षमता की आवश्यकता है :–

कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी उत्तरदायी होगी तथापि योजना के प्रत्येक घटक के लिए कार्यान्वयन तथा सुपुर्दगी तंत्र (जैसा कि उपर्युक्त धारा 3.6 में बताया गया है) की योजना बनाना उचित होगा। विशिष्ट घटकों से पता चलता है कि इन कार्यों के लिए घरेलू संसाधन (जैसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में) लगाने होंगे अथवा कार्यान्वयन के लिए निजी अथवा गैर–सरकारी संगठनों के सेवादाताओं से अनुबंध करना होगा अथवा उन्हें कार्य सौंपना होगा। इन कार्यान्वयन एजेंसियों में निम्नलिखित प्रकार की दक्षता तथा सक्षमता की आवश्यकता है :–

- संस्थान/संगठन विकास तथा वित्त (पूंजी तथा परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, शुल्क, शहरी स्थानीय निकाय वित्त आदि)
- समाजार्थिक तथा सामुदायिक प्रबंधन
- शहरी आयोजना
- स्वास्थ्य व पर्यावरण का स्वच्छता से संबंध
- नई परिसंपत्तियों व सुविधाओं के लिए तकनीकी क्षमता और नए विकास क्षेत्रों के लिए परिचालन व अनुरक्षण प्रणाली की स्थापना
- मॉनीटरिंग व मूल्यांकन
- अन्य स्थानीय पहलुओं के लिए योजनाएं तैयार करने की क्षमता

आयोजना में शामिल विशेषज्ञ संस्थानों, परामर्शदाताओं, गैर–सरकारी संगठनों आदि का सहयोग लेने और उनके द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। कुछ बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह प्रभावशाली उपाय हो सकता है जिसके लिए संभवतः शहरी स्थानीय निकाय में संपूर्ण सुविज्ञता तथा प्रबंध क्षमता न हो अथवा जहां अनेक समानांतर कार्यकलाप भी किए जाने हों जिनके कारण कर्मचारियों की कमी हो सकती है।

बिना विलम्ब के कार्यान्वयन करने और समुचित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध करना तथा उनका प्रबंधन महत्वपूर्ण है। दो प्रकार की सेवाएं अपेक्षित हैं :– हार्डवेयर संबंधित क्षमता जिसके द्वारा भौतिक निर्माण कार्य किया जाना है तथा सॉफ्टवेयर/प्रक्रिया संबंधी क्षमता अर्थात् सामाजिक एकत्रीकरण, सांस्थानिक विकास, प्रशिक्षण आदि। चूंकि अनुबंध की चुनौतियों से निपटने तथा अनुबंध के पर्यवेक्षण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास अपेक्षित क्षमता तथा प्रणालियों का अभाव हो सकता है। अतः नवीन प्रयोग करने होंगे; इनमें चयन तथा प्राप्ति में राज्य स्तरीय एजेंसियों की सहायता लेना; भुगतान आधार पर ठेकेदारों व परामर्शदाताओं की नियुक्ति; अन्य घटकों के लिए एकमुश्त अथवा यूनिट–मूल्य अनुबंध आदि शामिल हैं। कुछ घटकों के लिए जिम्मेदारी सेवा सुपुर्दगी में साझीदारी के समझौता ज्ञापन (गैर–सरकारी संगठनों के साथ) करना भी एक समाधान है। अंततः यदि अपेक्षित क्षमता का अभाव समझा जाए तो कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य सदस्यों के लिए अनुबंध प्रबंधन में प्रशिक्षण भी एक समाधान है। शहरी स्वच्छता कार्यदल का गठन और मार्गदर्शन क्वालिटी प्रक्रिया, पारदर्शिता व सुपुर्दगी पर महत्व सुनिश्चित कर सकता है। मध्यवधि सुधार के अन्य उपायों में कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग व मूल्यांकन शामिल है।

प्रगति की मॉनीटरिंग व मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण

शहरी स्वच्छता कार्य दल और कार्यान्वयन एजेंसी को शहरी स्वच्छता योजना (सीएसपी) के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन की मानीटरिंग व मूल्यांकन पर विचार करना होगा। मानीटरिंग कार्यान्वयन में प्रयोग किए जाने वाले तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- कार्यान्वयन एजेंसी रिपोर्टों तथा कार्यान्वयन परामर्शदाताओं, ठेकेदारों से प्रशासनिक आंकड़े प्राप्त करना
- शहर के विभिन्न भागों में कार्यदल के फील्ड दौरे
- शहर के विभिन्न भागों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठन जैसे कुछ विशेष स्लम पॉकेटों में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठन आसपास की बस्तियों में परिवर्तन की मानीटरिंग कर सकते हैं क्योंकि वे वहां काम कर रहे हैं और लोगों के साथ उनका नियमित संपर्क रहता है। शहरी स्थानीय निकायों से अतिरिक्त व्यय उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन अथवा वचन लेना होगा जबकि कुछ गैर–सरकारी संगठन विशेषकर जो स्वास्थ्य के संबंध में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य के भाग के रूप में कुछ आंकड़े एकत्र कर सकते हैं।
- समुदाय समूहों से कहा जाए कि वे कार्यान्वयन की प्रगति और अपने क्षेत्र में परिस्थिति के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी तथा कार्यदल को जानकारी उपलब्ध कराएं।
- निष्पक्ष मूल्यांकन
- पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा समवर्ती मूल्यांकन

मानीटरिंग व मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष निष्कर्षों तथा रिपोर्टों को जनता को उपलब्ध कराना है ताकि अन्य हितबद्धों से सूचना और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। हितबद्धों को जुटाने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यदल की मासिक बैठकों तथा प्रेस विज्ञप्तियों में मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है।

100% स्वच्छता स्थिति का मूल्यांकन

एम एंड ई के लिए प्रयुक्त तंत्र की क्वालिटी के साथ–साथ काफी हद तक विभिन्न हितबद्धों के प्रत्युत्तर का भी निर्धारण हो सकेगा। भारतीय शहरों में स्वच्छता की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना से संबंधित अध्याय की धारा 4 में प्रारूप एम एंड ई सूचकांकों की सूची दी गई है जो निर्गत, प्रक्रिया तथा परिणाम संबंधी मानकों से संबंधित है।

कार्यदल तथा कार्यान्वयन एजेंसी कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त प्रस्तावित तंत्र का उपयोग कर सकते हैं परंतु 100% स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु अनेक उपायों पर विचार किया जा सकता है :–

- शहरी स्वच्छता कार्यदल द्वारा अनेक स्व–मूल्यांकन कार्यान्वयन एजेंसी आंकड़ों, नागरिक समूह सूचना तथा प्रारंभिक फील्ड दौरों के आधार पर।
- शहर कार्यदल तथा/अथवा राज्य सरकार द्वारा तैयार स्वतंत्र रिपोर्ट कार्ड तथा मूल्यांकन मिशन;
- राज्य स्तर तथा अन्य शहर हितबद्धों के सहयोग से सारे शहर में मानीटरिंग
- भारत सरकार मानीटरिंग मिशन तथा निष्पक्ष एजेंसियां।

अन्य क्षेत्रों के अनुभवों से पता चलता है कि लक्ष्य सूचकांकों का मूल्यांकन करने के लिए सरल फॉर्मेट वाली बहु–हितबद्ध एम एंड ई प्रणालियों से सांझा स्वामित्व स्थापित होने तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी परिणाम मिलने की संभावना है। अतः शहरी स्वच्छता कार्यदल प्रारंभिक जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में मुख्य सूचकांकों का प्रचार करने पर विचार कर सकते हैं कि सभी हितबद्ध मॉनीटर करें और आंकड़े एकत्र करने तथा उन्हें रिपोर्ट करने के लिए एक सरल तंत्र तैयार करें।

मानीटरिंग की क्वालिटी में सुधार करने तथा 100% स्वच्छता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शहरों में प्रतियोगी पुरस्कार योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

100% स्वच्छता की मानीटरिंग

शहर या उसके भाग लक्ष्य प्राप्ति के बाद पीछे न रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रणालियां बनाई जाएं कि यह एक बार की उपलब्धि न होकर व्यवहार, प्रणाली और प्रथा में स्थायी परिवर्तन हो।

इस प्रक्रिया में अनेक हितबद्ध शामिल किए जाएंगे परंतु इसमें शहरी स्थानीय निकाय अथवा कार्यदल अग्रणी रहेंगे। परिवर्तन को स्थायी बनाने के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- प्रक्रिया, निर्गत तथा परिणाम की मानीटरिंग में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका शहरी स्थानीय निकाय को अग्रणी की भूमिका लेनी होगी और 100% स्वच्छता व्यवस्था की मानीटरिंग के उपाय करने होंगे। यह नए निवेशों तथा शहरी स्थानीय निकाय की ओ एण्ड एम भूमिका तथा दायित्वों से निकटता से संबद्ध होगा परंतु यह सिफारिश की जाती है कि उपर्युक्त से अलग एक यूनिट बनाया जाए जो शहर की उपलब्धियों और उनके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होगा। यदि शहरी स्थानीय निकाय अन्य सरकारी एजेंसियों (अपने संगठन में अथवा उससे बाहर पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंधी) गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, शहरी निर्धनों आदि का सहयोग लें तो यह कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
- दैनिक आधार पर मानीटरिंग में नागरिक समूहों की भूमिका मूल्यवान है और प्रतिवास की सुरक्षा, उतरोत्तर सुधार के साथ–साथ किसी उल्लंघन की तत्काल सूचना के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। समग्र शहर स्तर पर कार्यान्वयन की मानीटरिंग का अर्थ ग्राउंड स्तर पर स्थायी परिवर्तन से संबंधित दायित्वों का समावेशन होगा।
- परिवर्तन के स्थायित्व का सर्वोत्तम तरीका औपचारिक आंकड़े व अनौपचारिक सूचना तथा फीडबैक नियमित रूप से एकत्र करना और उसे सार्वजनिक बनाना है ताकि सरकारी एजेंसियों, निजी सेवादाताओं और परिवारों व समुदायों पर समान रूप से दबाव डाला जा सके। पुरस्कारों से इसे प्रोत्साहन मिलेगा और अनेक मामलों में शहर के हित के लिए सुधार भी किए जा सकेंगे। पुरस्कार भाग (निम्नलिखित) की रूपरेखा के अनुसार अनेक ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिनसे शहरों को 100 प्रतिशत साफ बनाने और निरंतर सुधार करने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना

100% स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुधार की प्रक्रिया में स्थानीय हितबद्धों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी अलग–अलग पुरस्कार योजनाएं चला सकते हैं। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार

क्षेत्र के आधार पर पुरस्कार दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित यूनिटों को पुरस्कार दिया जा सकता है :–

क) नगरपालिका वार्ड;
ख) कालोनियां अथवा रेजीडेन्ट एसोसिएशन;
ग) विद्यालय, कालेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थान;
घ) मार्केट तथा बाजार समितियां;
ड.) शहर आधारित संस्थान अथवा स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, कार्यालय भवन आदि;
च) शहर में मौजूद कोई अन्य स्थान तथा संस्थान।

यह पुरस्कार स्वच्छता व्यवस्था के अनुरक्षण और उन्नयन, बेहतर स्वास्थ्य तथा पर्यावरण वाली अवस्थापना में सुधार के लिए साथ ही विशेष प्रयोजनों जैसे पर्यावरण मेलों, स्वास्थ्य कैंप आदि का आयोजन करने के लिए अल्प राशि के रूप में दिए जा सकते हैं। पुरस्कारों के एक भाग के रूप में सम्मान सूची, मान्यता देने के लिए जन समारोहों का आयोजन तथा वार्डों की रेटिंग पर भी विचार किया जा सकता है।

हालांकि ये पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं तथापि यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह या स्थान का दायित्व केवल अपनी उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं हैं। यह एक समग्र शहर प्रयास है और सुरक्षित स्वास्थ्य व पर्यावरण का लाभ तभी मिल सकेगा जबकि शहर और उसके आसपास प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100% स्वच्छता की बेहतर व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रथाएं स्थापित होंगी।

100% स्वच्छ वार्ड अथवा क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने और इसे बनाए रखने में नगरपालिका वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय सामुदायिक नेताओं, नागरिक समूहों तथा समुदाय आधारित संगठनों का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए।

(इस प्रकार पुरस्कार योजना स्थानीय समुदाय नागरिक मामलों, राजनीति तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के मूल्य स्थिरीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।)

विशेष संस्थानों व स्वरूप वाले शहर

i) कुछ ऐसे शहर हो सकते हैं जिनमें विशेष सांस्थानिक व्यवस्था है: ऐसे शहर जहां शहरी स्थानीय निकाय नहीं है या उनकी जिम्मेदारी शहर के केवल एक भाग के लिए ही है (अन्य भाग किसी छावनी या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं)। ऐसे शहरों में एक मल्टी एजेंसी कार्यदल बनाना होगा जो 100% स्वच्छता अभियान की आयोजना, मार्गदर्शन तथा मानीटरिंग कर सके। यह जरूरी है कि शहर का कोई भाग न छूटे और प्राधिकरण अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सुविधा व सक्षमता के अनुसार इसी प्रकार के उपाय लागू करें।
ii) कुछ शहर ऐसे है जहां शहरी स्थानीय निकाय आंशिक रूप से सफाई के लिए उत्तरदायी हैं, अन्य दायित्व पैरा स्टेटल एजेंसियों जैसे पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी हैं। शहरी स्वच्छता कार्यदल में स्वच्छता से संबंधित सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस कार्यदल में घरेलू/यूनिट स्तर पर सफाई, सीवरेज, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए उत्तरदायी सभी एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

iii) विशेष स्थल, पर्यावरणीय विशेषताओं वाले शहर (जैसे पर्वतीय अथवा तटीय क्षेत्र) जिनमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि की संभावना है। इन शहरों द्वारा विशेषज्ञ राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा निजी फर्मों से विशेष परामर्श लिया जा सकता है। ऐसे विशेषज्ञ संस्थानों को शहरी स्वच्छता कार्यदल में सदस्य बनाने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है और वे अपनी विशेषज्ञ जानकारी व सलाह दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदा की संभावना वाले शहरों में उनके आपदा तैयारी व राहत प्लानों में स्वच्छता के विशेष उपायों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

यदि ऐसा कोई प्लान नहीं है तो कार्यदल द्वारा ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश की जाएगी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

क) आपदा से निपटने की तैयारी के लिए संस्थानों की भूमिका व उत्तरदायित्व
ख) स्वच्छता व्यवस्था तथा प्रणालियों (घरेलू/यूनिट स्तर पर, परिवहन तथा ढोने में तथा सीवेज शोधन/निपटान में) के डिजाइन व ओ एंड एम में आपदा से निपटने की तैयारी शामिल करना
ग) आपदा की स्थिति में आपातकालीन उपाय तथा पुनर्वास उपाय
घ) जन जागरूकता अभियानों में उपर्युक्त की मुख्य बातें शामिल करना।

संदर्भ तथा संसाधन सामग्री

मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

भारत में शहरी स्वच्छता– बेहतर भविष्य की नियोजन, शहरी स्वच्छता नियोजन व दिशानिर्देश नोट्स, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

डब्ल्यू एसपी–एसए (2007) अ गाइड टू डिसीजन मेकिंग; टेक्नालॉजी आप्शनस् फॉर अर्बन सेनिटेशन इन इंडिया चर्चा हेतु प्रारूप. आगामी

एएससीआईआई (2007) केस स्टडीज ऑन अर्बन सेनिटेशन फ्राम इंडियन सिटीज़ (सीडी)

अनुलग्नक – III

भारत के शहरों में स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

लक्ष्य

देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को शीघ्रता से प्रोत्साहित करने (जैसी कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति तथा उद्देश्य 2008 में व्यवस्था है) तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए भारत सरकार का शहरों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पुरस्कार का आधार है कि शहरों द्वारा शहरी नागरिकों के लिए बेहतर जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मानक सुनिश्चित किए जाएं। ऐसा करने में राज्यों तथा शहरी क्षेत्रों में सरकारों को पूरे शहर के लिए समग्र स्वच्छता प्लान बनाने व लागू करने होंगे जिनके द्वारा कचरे को सुरक्षित ढंग से एकत्र करने तथा उसका निपटान करने (जिसमें शहर व आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ढोना, शोधन तथा/अथवा पुनः प्रयोग शामिल है) के लिए व्यवस्था करनी होगी। यह उल्लेखनीय है कि पुरस्कार देते समय शहरी स्वच्छता में निवेश, हार्डवेयर अथवा व्यय का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा बल्कि शहर से कचरे का 100% सुरक्षित निपटान का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मध्यवर्ती उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। शहरों द्वारा हितबद्धों (परिवारों, स्थापनाओं, उद्योगों, नगरपालिका अधिकारियों, मीडिया आदि) में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। यदि सारे समाज में व्यवहार तथा आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है तभी बेहतर जन स्वास्थ्य व पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पूर्णतः स्वच्छ शहर की अवधारणा

एक पूर्णतः स्वच्छ शहर वह होगा जिसने राष्ट्रीय स्वच्छता नीति में उल्लिखित परिणाम अथवा लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- शहरी स्कूलों मे शौच (ओपन डेफिकेशन) से मुक्त होना चाहिए
- मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन हो चुका हो और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण हों
- नगरपालिका के गंदे पानी और बरसाती पानी का सुरक्षित प्रबंधन हो
- जहां कहीं संभव हो गंदे पानी को रीसाइकल करना व उसका न पीने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए पुनः प्रयोग
- कचरा पूर्णतया और सुरक्षित ढंग से एकत्र करना व उसका निपटान
- दीर्घकालीन परिणामों के लिए निर्धनों के लिए सेवाएं और प्रणालियां
- बेहतर जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय मानक

बेसलाइन, पात्रता तथा चयन प्रक्रिया

क) **बेसलाइन और आयोजना** : सबसे पहले सभी शहर एक सर्वेक्षण (द्वितीय व प्रारंभिक आंकड़ा स्रोतों पर आधारित) करेंगे और शहर में कचरा द्रव्य और ठोस उत्पन्न होने, एकत्र करने तथा

उसके निपटाने के संबंध में व्यापक बेसलाइन तैयार करेंगे। इससे वे निष्पक्ष स्वमूल्यांकन द्वारा स्वयं को संबंधित स्वच्छता श्रेणी (नीचे देखें) में रख सकेंगे। यह सभी हितबद्धों को जुटाने, जागरूकता उत्पन्न करने तथा 100% सफाई को प्राथमिकता देने के लिए शहरी स्वच्छता अभियान का आधार बनेगा। इस बेसलाइन के आधार पर शहर 100% स्वच्छ बनने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सहायता से एक व्यापक शहरी स्वच्छता योजना तैयार व लागू करेंगे।

ख) **कार्यान्वयन** : शहर द्वारा अपनी शहरी स्वच्छता योजना का कार्यान्वयन नियोजित ढंग से किया जाएगा जिसमें ऐसे क्षेत्रों, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, को स्पष्ट प्राथमिकता देने के साथ–साथ दीर्घकालीन प्लानों का कार्यान्वयन भी किया जाएगा। शहर में दीर्घकालीन आधार पर समस्त कचरे के सुरक्षित व साफ निपटान के लिए सभी हितबद्धों का सहयोग लेने और व्यवहार, आदतों में परिवर्तन तथा स्थापना का महत्व बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

ग) **लक्ष्यों की प्राप्ति** : ऐसे शहर/शहरी क्षेत्र जिन्होंने ऊपर वर्णित स्वच्छता लक्ष्य तथा परिणाम प्राप्त कर लिए हैं तथा जिनमें इन्हें स्थायी बनाने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया है, वे शहर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन हेतु अपनी राज्य सरकारों (राज्य शहरी विकास/नगरपालिका प्रशासन विभाग) को आवेदन करेंगे।

घ) **राज्य स्तरीय जांच तथा पुरस्कार** : राज्य सरकार अपने शहरों में उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन में सहायता देने तथा निरीक्षण के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी और इस संबंध में राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकारें राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान भी शुरू करेंगी।

ड.) **राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता रेटिंग** : शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रेणी–1 शहरों (तथा जेएनएनयूआरएम में शामिल अन्य शहर) का सर्वेक्षण निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा और निष्पादन को मान्यता देने के लिए परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कराया जाएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्यों से सराहनीय निष्पादन वाले शहरों की सिफारिश करने को कह सकती है जिसके बाद निर्धारित जांच कार्रवाई की जाएगी।

च) **पुरस्कारों के लिए मानदंड** : शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता सलाहकार दल राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना और मानदंडों को संशोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। आवेदक शहरों के लिए वार्षिक पुरस्कारों का निर्णय करने में समिति अंतिम प्राधिकारी होगी।

छ) **पुरस्कारों का प्रकार** : पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शहरों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। तथापि पुरस्कार के लिए किसी वित्तीय प्रोत्साहन अथवा ईनाम का प्रस्ताव नहीं है। तथापि पुरस्कार में शहर तथा राज्य प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण में भाग लेना, अन्य स्थानों पर आदान–प्रदान व अध्ययन दौरों के लिए स्पांसर करना शामिल है।

शहरों की रेटिंग तथा वर्गीकरण :–

- सर्म्पूण स्वच्छता के निष्पादन के संबंध में शहरों की रेटिंग उत्पादन, प्रक्रिया और परिणामों के लक्ष्य सूचकांकों पर आधारित होगी जैसा कि तालिका (1) में प्रस्तुत किया गया है।
- उपर्युक्त रेटिंग स्कीम के आधार पर शहरों को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाएगा जैसा कि तालिका (2) में दिया गया है। राष्ट्रीय रेटिंग सर्वेक्षण आंकड़ों में उन श्रेणियों का प्रयोग परिणामों के प्रकाशन हेतु किया जाएगा।

तालिका (1) : शहरों में स्वच्छता के लिए निर्देशात्मक लक्ष्य रेटिंग (प्रारूप)

सं0	सूचकांक	अंक*
1	**उत्पादन संबंधी**	**50**
क	कोई ओपन डेफिकेशन नहीं (खुले में शौच मुक्त) उप–योग	16
i	शहरी निर्धनों तथा अन्य अविकसित बस्तियों (जिसमें स्लम शामिल हैं) को शौचालय की सुलभता तथा प्रयोग–व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता सुविधाएं	4
il	आने–जाने वाले लोगों और सांस्थानिक आबादी के लिए शौचालय की सुलभता तथा प्रयोग–पर्याप्त सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं	4
iii	कोई ओपन डेफिकेशन नहीं देखा गया	4
iv	मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तथा सफाई कर्मचारियों को निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना	4
ख	मानव अपशिष्ट का कुल भाग जो सुरक्षात्मक ढंग से एकत्र किया जाता है (100% के लिए 6 अंक)	6
ग	भूरे गंदे पानी का कुल भाग जिसका शोधन एवं सुरक्षित ढंग से निपटान किया जाता है (100% के लिए 6 अंक)	6
घ	ग्रे गंदा पानी जिसका शोधन व सुरक्षित निपटान किया जाता है	3
ड.	शोधित अशुद्ध जल जिसका रीसाइकल करके गैर पेय प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाता है। (100% के लिए 3 अंक)	3
च	कुल बरसाती पानी जिसका सक्षम एवं सुरक्षित प्रबंधन किया जाता है। (100% के लिए 3 अंक)	3
छ	कुल कचरा जिसे नियमित रूप से एकत्र किया जाता है।(100% के लिए 4 अंक)	4
ज	कुल कचरा जिसका शोधन एवं सुरक्षित निपटान किया जाता है।(100% के लिए 4 अंक)	4
झ	कुल कचरा जिसका शोधन एवं सुरक्षित निपटान किया जाता है।(100% के लिए 5 अंक)	5
2	**प्रक्रिया संबंधी****	**30**
क	ओपन डेफिकेशन के मामलों का पता लगाने के लिए रख रखाव प्रणाली	4
ख	शहर की सभी सीवरेज प्रणालियां सही ढंग से काम कर रही हैं और कोई रिसाव नहीं हो रहा (जिन शहरों में सीवरेज प्रणाली न हो, उनमें लागू नहीं)	5
ग	शहर में ऑन साइट प्रणाली से शोधन के बाद सेप्टेज/स्लज को नियमित रूप से साफ करके सुरक्षित ढंग से ले जाया तथा निपटान किया जाता है(जिन शहरों में सीवरेज प्रणाली नहीं उनके लिए अधिकतम 10 अंक)	5
घ	भूमिगत तथा भूतल निकासी प्रणाली सही ढंग से कार्य कर रही है तथा उसका अनुरक्षण	4
ड.	कचरा प्रबंधन (एकत्र करना तथा शोधन) प्रणालियां सक्षम हैं तथा (एमएसडब्ल्यू नियम, 2003 के अनरूप है)	5
च	स्पष्ट सांस्थानिक दायित्व सौंपे गए हैं तथा उपर्युक्त (ख)/(ग) से (ड.) तक के लिए प्रलेखित परिचालन प्रणालियां प्रचालित है	4
छ	प्रदूषण फैलाने वालों तथा संस्थानों के लिए स्पष्ट रूप से शास्ति निर्धारित है तथा उनका अनुपालन किया जाता है।	3
3	**परिणाम संबंधी**	**20**
क	शहर में बेसलाइन की तुलना में पेयजल की क्वालिटी	7
ख	शहर में और उसके आसपास बेसलाइन की तुलना में जल निकायों में पानी की क्वालिटी	7
ग	बेसलाइन की तुलना में शहर आबादी में पानी के संक्रमण से होने वाली बीमारियों में कमी	6

** उपर्युक्त सूचकांकों के लिए अंक प्रत्येक दो या तीन वर्ष में संशोधित किए जाएंगे। समय के साथ–साथ अधिक कड़ी स्थितियों जैसे खुले/सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब न करना, न थूकना जैसे सूचकांक भी शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी और विशेष सूचकांक को दिए गए अंक भी तदनुसार संशोधित किए जाएंगे।*

*** इस संबंध में बड़े शहर अच्छी प्रथाएं शुरू करने पर विचार कर सकते हैं जो आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन) तथा/अथवा बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के अनुरूप हों।*

उपर्युक्त रेटिंग, स्कीम के आधार पर, जैसा कि तालिका (2) में दर्शाया गया है, शहरों को अलग–अलग श्रेणी में रखा जाएगा। परिणामों के प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय रेटिंग सर्वे डेटा द्वारा इन श्रेणियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

तालिका (2) : शहर रंग कोड : श्रेणियां

1	लाल	ऐसे शहर जिनमें जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय "आपात स्थिति" है और इनमें तत्काल उपचारात्मक उपायों की जरूरत है<33
2	काला	जिनमें महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है 34–66
3	नीला	सुधार हो रहा है परंतु अभी भी पीछे है 67–90
4	हरा	स्वस्थ व स्वच्छ शहर 91–100

- तैयार तथा लागू किए गए प्लानों के आधार पर शहर अपने कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा समय के साथ–साथ बेसलाइन की तुलना में अपनी उपलब्धियों को जान सकेंगे।
- उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होने पर अर्थात् हरा श्रेणी (स्वस्थ व स्वच्छ शहर) में आने पर शहर राष्ट्रीय पुरस्कार के पात्र हो जाएंगे। अन्य शहर जिनमें उल्लेखनीय उतरोत्तर प्रगति अथवा कुछ क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति होगी उन्हें भी कुछ विशेष या सम्मानार्थ पुरस्कार दिए जाएंगे। अलग–अलग आकार के शहरों श्रेणी–वार पुरस्कार देने पर भी विचार किया जा सकता है।
- रेटिंग सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन होने पर शहरों को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

विशेष तथा सम्मानार्थ पुरस्कार

शहरों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दो नीतियां अपनाई जाएंगी :–

- राज्य नीति के अंतर्गत पुरस्कार योजनाएं
- चुनिन्दा क्षेत्रों में विशेष निष्पादन अथवा महत्वपूर्ण प्रगति दिखाने वाले शहरों के लिए विशेष तथा सम्मानार्थ पुरस्कार

विशेष पुरस्कार :–विशेष उपलब्धियों, विशेषकर प्रारंभ में, के लिए दिए जाएंगे क्योंकि शुरू में 100% स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई शहर ओपन डेफिकेशन समाप्त करने में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है चाहे समय व संसाधनों की कमी के कारण 100 प्रतिशत शोधन नहीं हो पा रहा। चुनिन्दा निष्पादन के ऐसे मामलों में प्रारंभिक वर्षों में पुरस्कार निम्नलिखित को मान्यता देने के लिए दिए जाएंगे :–

- ओपन डेफिकेशन समाप्त करना
- जागरूकता उत्पन्न करने में उल्लेखनीय निष्पादन
- सांस्थानिक दायित्व तथा परिचालन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन
- स्वच्छता अभियानों में समुदाय संगठनों अथवा गैर सरकारी एजेंसियों का सहयोग

उल्लेखनीय कार्य निष्पादन हेतु सम्मानार्थ पुरस्कार : कई शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल चहुमुखी बेहतर कार्य निष्पादन का प्रदर्शन करना कठिन हो सकता है। इसलिए, शहरों के उनके बेसलाइन स्थिति की तुलना में दिए गए वर्ष में अधिकतम समग्र सुधारों को दिखाना, किए गए वृद्धिगत प्रयासों की पहचान को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी पुरस्कार दिया जा सकता है।

यदि राज्य रणनीति शामिल पुरस्कार स्कीमों में राज्यों से उपरोक्त श्रेणी में से कई पूर्व चयनित निष्पादकों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा।

वित्तपोषण :

(क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय रेटिंग सर्वे को वित्तपोषण देगी तथा वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदर्शन समारोह के आयोजन के व्यय को वहन करेगी।

(ख) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त (जेएनएनयूआरएम, यूआईडीएसएसएमटी, वीएएमबीएवाई इत्यादि) के अंतर्गत निम्नलिखित दिशानिर्देशों हेतु पात्र शहर इस वित्तपोषण का उपयोग करेंगे। राज्य सरकार की स्कीमें अपने शहरों के उद्देश्यों के लिए वित्तपोषण प्रदान करेगी।

(ग) भारत सरकार, शहरों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों को निम्न द्वारा सहायता देगी :
(i) जागरूकता पैदा करने हेतु एक राष्ट्रीय संचार अभियान शुरू करके (ii) शहरों के लिए तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन (मार्गदर्शन नोट, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, इत्यादि) प्रदान करके (iii) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कीमों से वित्तपोषण उपलब्ध कराना तथा (iv) शहरों के राष्ट्रीय रेटिंग सर्वे तथा वार्षिक पुरस्कार समारोह के लिए वित्तपोषण।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011

Phone: (91-11) 23022199 • Fax: (91-11) 23062477 • E-mail: secyurban@nic.in